गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
की 121 वीं बैठक

दिनांक	:	12.03.2010
समय	:	11.00 बजे
स्थान	:	कान्फ्रेन्स हाल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

एक सुन्दर शहर–हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 12.03.2010 की कार्यसूची।

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 16.01.2010 की कार्यवृत्त की पुष्टि।	01–3
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 120वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.01.2010 की अनुपालन आख्या ।	04–11
3	शासनादेश सं0 1106/9–आ–1–(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 1–3–01 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना	12–18
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–11 का बजट ।	19–44
5	प्राधिकरण की मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना हेतु अर्ह भू स्वामियों को अधिग्रहीत भूमि की दी जाने वाली 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दिये जाने तथा योजना के खोले जाने वाले पंजीकरण में स्थानीय काश्तकारों को 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	45–48
6	मधुबन आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में एफ0ए0आर0 2.75 अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।	49
7	20000 वर्गमी0 से अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु भुगतान की शर्तो में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	50
8	प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–नीलामी की शर्तो में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	51
9	एन0एच0–24 मार्ग पर लगी प्रकाश व्यवस्था को नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरण पर 15 मीटर हाईट के एलीवेटर को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	52
10–	इन्दिरापुरम योजना में महागुन मेंशन से शिप्रा मॉल तक जाने वाली सड़क का नामकरण शहीद कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस के नाम पर करने के सम्बन्ध में।	53–54
11–	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।	

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 12.03.2010 के अतिरिक्त मदों की कार्यसूची।

क0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
11–	गाजियाबाद महायोजना 2021 के अन्तर्गत विभिन्न जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में ।	55
12–	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में ।	56–71

मद संख्या : 1

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2010 के कार्यवृत्त की प्रति प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यगण को अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी थी । इस कार्यवृत्त पर माननीय बोर्ड के सदस्य सर्वश्री मुकेश गर्ग, बिजेन्द्र सिंह चौहान, हरि मोहन द्वारा मद सं0– 05 व मद सं0– 06 के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 08.02.2010 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है "मद सं0–05 में एन0सी0आर0वी0 सहकारी आवास समिति सरकारी व्यक्तियों व अधिकारियों की समिति है, हमको बताया जाये कि उक्त समिति में कौन–कौन सरकारी अधिकारी सदस्य हैं तथा समिति ने किस तिथि को रास्ते की भूमि के लिये प्रार्थना पत्र दिया एवं उक्त समिति रजिस्टर्ड है अथवा नही, यदि रजिस्टर्ड है तो कहां से और कब तक "। मद सं0–06 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि "यह प्रस्ताव जनहित में नही है। भवन उपविधि कें प्राविधानों के अन्तर्गत सामुदायिक भवन का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी0 अपेक्षित है। हमको बताया जाये कि उपविधि में अधिक क्षेत्रफल भी अपेक्षित है तो कितना"। अन्य किसी सदस्य से कोई टीका/टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। अतः बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
...न्द्र कुमार
सचिव

2

दिनांक 3.2.2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,

एवं अध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गा0बाद ।

सचिवालय भवन,

लखनऊ ।

विषय: जी0 डी ए0 बोर्ड की बैठक दिनांक 16.1.2010 के भेजें गये कार्यवृत पर आपत्तियाँ ।

मान्यवर,

दिनांक 16.1.2010 को जी0 डी0 ए0 बोर्ड की सम्पन्न हुई बैठक में हमनें कुछ मदों पर आपत्तियाँ दर्ज करायी थीं जो कार्यवृत में दर्ज नहीं हैं जिनका उल्लेख नीचें कर रहें हैं ।

1) मद सं0 5 में हमनें एन0 सी0 आर0 बी0 सहकारी आवास समिति को रास्ते हेतु भूमि दिये जानें के सम्बन्ध में आपत्ति की थी जो कार्यवृत में दर्ज नहीं है । बैठक के दौरान हमें मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त समिति सरकारी व्यक्तियों व अधिकारियों की समिति है, हमको बताया जाये कि उक्त समिति में कौन कौन सरकारी अधिकारी सदस्य हैं तथा समिति नें किस तारिख को रास्तें की भूमि के लियें जी0 डी0 ए0 में प्रार्थना पत्र दिया एवं उक्त समिति रजिस्टर्ड है या नहीं , यदि रजिस्टर्ड है तो कहाँ से एवं कब तक ।

2) मद सं0 6 के प्रस्ताव का पूर्व में हुई बैठक दिनांक 5.9.09 को भी विरोध किया था तथा अब भी हमारी इस प्रस्ताव के लियें भूमि दियें जों के सम्बन्ध में आपत्ति है क्यों कि यह प्रस्ताव जन हित में नहीं है । बैठक कें दौरान बताया गया कि भवन उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत सामुदायिक भवन का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर अपेक्षित है । हमको बताया जायें तथा उप-विधि में में अधिकतम क्षेत्रफल भी अपेक्षित है , यदि है तो कितना ।

जी0 डी0 ए0 नें जब बैशाली योंजना का प्लान तैयार किया था उस योजना में प्लान के अन्तर्गत बताया गया था कि क्षेत्र में कितनें पार्क तथा सामुदायिक केन्द्र होगें । पार्क तथा सामुदायिक केन्द्र की जमीन का मूल्य लोगों को दियें गये प्लाटों के मूल्य में ही समायोजित कर लिया गया था । अतः अब यह प्रस्ताव जनहित में नहीं है

नरेन्द्र कुमार चौधरी
उपाध्यक्ष

क्रमशः---2 पर

समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सामुदायिक केन्द्र एवं पार्क की जमीन को बेचकर लैण्डयूज चेन्ज करनें पर रोक लगाती रही है पुनः मद सं06 पर हमारी आपत्ति दर्ज करें ।

भवदीय,

(मुकेश गर्ग)
सदस्य
गा0 वि0 प्राधिकरण

(बिजेन्द्र सिंह चौहान)
सदस्य
गा0 वि0 प्राधिकरण

(हरि मोहन)
सदस्य
गा0 वि0 प्राधिकरण

प्रतिलिपि सेवा में वास्तें सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

2) सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय भवन, लखनऊ ।

3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय भवन, लखनऊ ।

4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

5) जिलाधिकारी गाजियाबाद ।

6) नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम गाजियाबाद ।

(मुकेश गर्ग)
सदस्य
गा0 वि0 प्राधिकरण

(बिजेन्द्र सिंह चौहान)
सदस्य
गा0 वि0 प्राधिकरण

(हरि मोहन)
सदस्य
गा0 वि0 प्राधिकरण

मद सं०-2

4

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 120वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 16-01-2010 की अनुपालन आख्या

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 05-9-2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड बैठक दिनॉक 05-9-2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई।	कार्यवाही वांछित नहीं है।
2-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 05-9-2009 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 05-9-2009 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई। मा0 अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि :- तुलसीनिकेतन, इन्दिराकुँज व इन्दिरापुरम योजनायें जो नगर निगम को हस्तान्तरित की जानी हैं, उनमें जो भी कार्य किये जाने हैं, उन्हें निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराते हुए नगर निगम को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि निर्धारित अवधि तक लक्षित कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये ।	निर्देशानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
3-	शासनादेश संख्या 1106/9-आ-1-(आ0ब0)बोर्डबैठक/2001 दि0 01-3-2001 के बिन्दु-18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106/9-आ- 1-(आ0ब0) बोर्ड बैठक / 2001 दिनॉक 01-3-2001 के बिन्दु-18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया तथा निर्देश	

(हस्ताक्षर) ... कुमार
सचिव

5

		दिये गये कि :-	
		1- सम्पत्तियों के निबन्धन हेतु विवरण में यह भी अवश्य इंगित किया जाये कि प्राधिकरण में कुल कितनी आवंटित सम्पत्तियॉ ऐसी हैं, जिनका पंजीकरण होना अवशेष हैं एवं उसके विरूद्ध कितनी सम्पत्तियों का निबन्धन हुआ है एवं कितनी सम्पत्तियॉ निबन्धन हेतु अवशेष हैं ।	वित्तीय वर्ष 2009-10 में फरवरी 2010 तक कुल 4001 सम्पत्तियों का निबन्धन हुआ है। अभी भी 21810 सम्पत्तियों का निबन्धन शेष है।
		2- इसी प्रकार विकास क्षेत्र सीमा में अब तक कुल कितने प्रकरण ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हित किये जा चुके हैं एवं कितने प्रकरणों का ध्वस्तीकरण हो चुका है तथा शमन की कार्यवाही से कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है ।	आलोच्य वित्तीय वर्ष में फरवरी 2010 तक कुल 809 प्रकरण चिन्हित किये गये, जिनमें से 350 पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये । इनमें से 94 अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण किया गया, 716 प्रकरणों का शमन किया गया जिससे रू0 63.18 करोड़ की आय हुई ।
		3- चिकित्सा व्यय पर नियंत्रण हेतु यह भी देख लिया जाये कि यदि वर्तमान व्यय भार से कम पर चिकित्सा बीमा कोई बीमा कम्पनी करने पर सहमत हों तो उस पर विचार करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।	सरकारी/निजीकम्पनियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। कम्पनियों से विवरण प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
		4- प्राधिकरण की भूमि अतिक्रमित न हो, इसके लिये आवश्यक है कि नई	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार बोर्ड लगवा दिये गये है।

न्द्र कुमार
सचिव

6

		व पुरानी योजनाओं में प्राधिकरण के बोर्ड लगवा दिये जायें । 5-- लैण्ड बैंक बढ़ाने हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। 247.36 हैक्टे0 भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन/शासनस्तर पर विचाराधीन है।
4—	गाजियाबाद महायोजना –2021 में गुलमोहर व आनन्द विहार कालौनी के मध्य महायोजना मार्ग की चौड़ाई–45 मीटर से 18 मीटर किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को भू–उपयोग परिवर्तन हेतु सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये । यह भी निर्देश दिये गये कि गुलमोहर कालौनी की रोड वाईडनिंग पर निर्मित बाउन्ड्री वाल को तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार पत्र संख्या 615/नियोजन अनुभाग/10 दिनांक 08.02.2010 द्वारा शासन को सन्दर्भित किया जा चुका है।
5—	एन0 सी0 आर0 बी0 सहकारी आवास समिति को रास्ते हेतु भूमि दिये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि आवंटित भू–भाग का उपयोग केवल सड़क निर्माण के लिये ही किया जायेगा ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
6—	श्री दिगम्बर जैन सोसायटी द्वारा वैशाली योजना सैक्टर--1 के भूखण्ड संख्या--2 में स्कूल भूखण्ड के साथ लगी सामुदायिक केन्द्र हेतु आरक्षित भूमि में से भूमि के आवंटन के संबंध में ।	यद्यपि गैर सरकारी सदस्य सर्वश्री मुकेश गर्ग, श्री हरिमोहन कौशिक व श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्ताव पर इस आधार पर आपत्ति प्रकट की गयी कि क्षेत्र में सुविधाओं की कमी होने की सम्भावना है, किन्तु अन्य गैर सरकारी सदस्य, श्री प्रेम चन्द भारतीय द्वारा	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में श्री दिगम्बर जैन सोसायटी को 3000 व0मी0 भूमि का आवंटन किया गया जिसकी सूचना संस्थान को पत्र संख्या 116/व्यव0 अनु0/10 दिनांक 29.01.10 द्वारा प्रेषित कर दी गयी।

7

		प्रस्ताव का समर्थन किया गया । योजना के क्षेत्रफल, घनत्व के आधार पर योजनान्तर्गत विद्यमान सुविधाओं के दृष्टिगत उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।	
7–	निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर में हाईटैक एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति ।	निजी पूँजी निवेश के संबंध में उपलब्ध करायी गयी प्रगति आख्या अवलोकित की गई ।	प्रगति आख्या प्राधिकरण द्वारा अवलोकित की गई है। अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8–	गाजियाबाद नगर हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार सी0आर0आर0 आई0 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है तथा निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
9–	मेरठ रोड़ से लगे नवीन नगरीयकरण क्षेत्र के सर्कुलेशन रोड़ प्लान के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। सेटेलाईट इमेज के आधार पर बेसमैंप तैयार किया जा चुका है। शीघ्र रोड़ सर्कुलेशन मानचित्र पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
10–	शासन की अधिसूचना संख्या 5136/8 – 3 –2008–11 विविध /08 दिनॉक 25 सितम्बर, 2008 के अन्तर्गत	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(हस्ताक्षर) ... कुमार सचिव

8

	पुर्ननिर्धारित एफ0ए0आर0 व जनसंख्या घनत्व के संबंध में।		
11–	इन्दिरापुरम योजना के अहिंसा खण्ड–2 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या ए0के0–90 का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा चुकी है।
12–	ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी के खसरा संख्या 530, 532, 541 व 542 , 538, 540/1, 543, 603, 563, 564, 565, 566 व 567 का भू–उपयोग क्षेत्रीय मनोरंजन सुविधाओं से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में एक आवेदक के भू–स्वामित्व के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण आवेदक की सूचना दिनांक 20.02.2010 को प्रेषित की जा चुकी है, अन्य का विवरण शासन को पत्र संख्या 159/नियोजन अनुभाग/10 दिनांक 04.03.10 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।
13–	गैर आवासीय उपयोगों में 101 व0मी0 से अधिक 2000 व0मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भी दो बेसमेंट अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया कि दो बेसमेंट की अनुमन्यता हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना आवश्यक है ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार शासन को पत्र संख्या 136/नियोजन अनुभाग/10 दि0 28.01.10 द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

9

14–	कौशाम्बी योजना में 24 मीटर चौडी सड़क पर स्थित व्यवसायिक / नर्सिंग होम भूखण्ड संख्या–1 का भू–उपयोग व्यवसायिक / गैस्ट हाऊस में परिवर्तित किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु जन–सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमन्त्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा चुकी है।
15–	गोविन्दपुरम योजना डी0 ब्लाक स्थित प्राईमरी स्कूल भूखण्ड पर महर्षि दयानन्द शिक्षा प्रसार समिति को इन्टरमीडिएट कॉलेज के निर्माण संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में महर्षि दयानन्द शिक्षा प्रसार समिति को भूखण्ड पर इन्टरमीडिएट कॉलेज के निर्णय / संचालन की अनुमति हेतु सूचना पत्र संख्या 179 / व्यव0अनु0 / 10 दिनांक 04.02.10 द्वारा प्रेषित कर दी गयी।
16–	आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने हेतु जारी शासनादेश संख्या– 1470 / 77–4–09 / 142 एन / 08 दि0 25.10.09 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या 1470 / 77–4–09–142 एन / 08 दिनांक 25.10.09 को अंगीकृत कर लिया गया है। शासनादेश के अन्तर्गत किश्तों के पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में विद्यालय भूखण्ड आवंटन हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम व शर्तों में किये गये ऑशिक संशोधन के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.01.10 से दिनांक 15.02.10 मधुबन–बापूधाम योजना के पंजीकरण में नियम एवं शर्तों में उक्त संशोधन करते हुए योजना प्रकाशित की गयी।

सचिव

18–	एक अमितव्ययी इण्डिका कार जो निष्प्रयोज्य /नीलामी प्रकिया में है, के स्थान पर एक स्कार्पियो कय करने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी दिनांक 25.02.10 को करा दी गयी है। वाहन नियमानुसार क्रय कर लिया गया है।
19–	गाजियाबाद नगर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने हेतु जिला प्रशासन की मॉग पर दो छोटी केन किराये पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।	निर्देशानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
20–	शास्त्रीनगर योजनान्तर्गत भविष्य एजूकेशनल सोसायटी डी–504, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद को नर्सरी स्कूल की आवंटित 546 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व नियोजित नर्सरी स्कूल भूखण्ड से लगी आवासीय भू–उपयोग की रिक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा चुकी है।
21–	ग्राम नूरनगर के खसरा संख्या 226 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद सोसायटी के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
22–	नर्सिगं होम हेतु भूखण्ड संख्या एन0एच0–2 लाजपतनगर के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
23–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कौशाम्बी आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम हसनपुर भौवापुर की अर्जन से मुक्त भूमि को समझौते के	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

(वीरेन्द्र कुमार)
सचिव

11

	आधार पर लेने के सम्बन्ध में।		
24–	प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों को आवंटित भवनों का मानक किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार मानक किराया निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।
25–	प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–नीलामी पद्धति लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.10, 11.03.10 व 12.03.10 को विभिन्न योजनाओं की होने वाली नीलामी हेतु निविदा–सह–नीलामी पद्धति लागू करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

सचिव

मद सं0: 3

विषय: **शासनादेश सं0 1106/9–आ–1–(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 1–3–01 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना**

1– **प्राधिकरण की आय बढाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण:–**

1– प्राधिकरण की आय बढ़ाने हेतु भवन एवं भूखण्ड के 2551 बकायेदारों से वसूली हेतु स्पीड पोस्ट द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेजी गयी एवं सम्पत्तियों के आवंटन/नीलामी की त्वरित कार्यवाही की गयी । दिनांक 31–10–2009 एवं 4–12–2009 को रू0 18,87,87,800/– की व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी की गयी, जिसके सापेक्ष 4.74 करोड़ रूपये नीलाम गृहीता से जमा कराया जा चुका है । अवशेष धनराशि जमा कराने हेतु भुगतान विवरण जारी किया जा चुका है । वर्ष 2009–10 में दिनांक 28.02.10 तक सम्पत्ति मद में कुल रू. 160.96 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त मधुबन–बापूधाम योजना में एल0आई0जी भवनों तथा आवासीय भूखण्डों हेतु दिनांक 15.01.10 से 15.02.10 तक खोले गये पंजीकरण के अन्तर्गत रू0 179.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है ।

2– सम्पत्तियों के निबन्धन हेतु प्राधिकरण परिसर में ही कैम्प का आयोजन कर रजिस्ट्री की कार्यवाही की गयी । वर्ष 2009–10 में दिनांक 28.02.10 तक 4001 सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की गयी, जिसके फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में रू0 9.29 करोड़ प्राप्त हुआ।

3– विकास क्षेत्र की सीमा वर्ष 2009–10 में चिन्हित अवैध निर्माणों में से फरवरी 2010 तक 746 प्रकरणों में शमन की कार्यवाही की गयी , जिसके परिणाम स्वरूप रू0 63.18 करोड़ की आय हुई ।

4– मानचित्रों के निस्तारण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत ही मानचित्रों का निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009–10 में दिनांक 28.02.10 तक रू0 59.44 करोड़ की धनराशि विकास शुल्क मद में प्राप्त हुई।

5– अनुत्पादकीय व्यय घटाने की दृष्टि से प्राधिकरण के वाहनों के पी0ओ0एल0 की मात्रा का पुर्ननिर्धारण करते हुए कार्यालय आदेश सं0 532/2/2008 दिनांक 27–9–08 एवं आदेश सं0 132/वाहन पूल/2009 दिनांक 25–2–09 निर्गत किया गया ।

6– चिकित्सा व्यय को नियंत्रित करने की दृष्टि से विशेष परिस्थिति में गम्भीर बीमारी में हास्पिटल में भर्ती होनें की दशा में ही भुगतान अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है ।

2– **प्राधिकरण सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के संबंध में किये गये प्रयासों का विवरण :–**

1– सम्पत्तियों को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के लिये प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 17–1–09 में योजनाओं की दरों का पुनरीक्षण किया गया।

2– निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप आवंटन हेतु उपलब्ध हुए आवासीय भवन/ भूखण्डों का वर्तमान दरों के आधार पर पुर्नमूल्यांकन कर सम्पत्तियों के आवंटन/ नीलामी की कार्यवाही की जायेगी । वर्ष 2009–10 में समस्त अनिस्तारित भवनो की योजना प्रकाशित की जा चुकी है ।

राजेन्द्र कुमार
सचिव

3— **प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिये की गई कार्यवाही:–**

प्राधिकरण की 30.771 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2009–10 के प्रारम्भ में अतिक्रमित थी एवं 4.346 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त अतिक्रमित भूमि चिन्हित की गयी, इस प्रकार कुल अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल 35.117 हेक्टेयर है । वर्ष 2009–10 में दिनांक 28–2–2010 तक 4.346 हेक्टेयर भूमि, जिसकी लागत रू0 106.53 करोड़ है, को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वर्तमान में अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल 30.771 हेक्टेयर है । शेष भूमि को मुक्त कराये जाने हेतु सम्बन्धित निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को जिम्मेदारी सौंपी गयी है ।

4— **महत्वपूर्ण शासनादेशों की स्थिति :–**

प्राधिकरण में समय समय पर शासन से प्राप्त हुए महत्वपूर्ण शासनादेशों (भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008, आवासीय ईकाईयों में अतिथि गृह अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी, एक मुश्त समाधान योजना–2002 के विस्तारीकरण सम्बन्धी, सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करने सम्बन्धी, आर्थिक मन्दी से निपटने तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अवरोधों का शमन उपविधि–2009 सम्बन्धी) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ।

5— **लैण्ड बैंक बढाने के संबंध में की गई कार्यवाही :–**

(1) महायोजना मार्ग हेतु ग्राम मवई अकबरपुर, बहरामपुर ग्राम मिर्जापुर की 11.95 है0 भूमि हेतु शासन द्वारा भू–अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक 12–6–09 में जारी की जा चुकी है तथा धारा–6/17 की कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) सिंचाई, गाजियाबाद को उनकी मांग के अनुसार वांछित धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

(2) महायोजना मार्ग हेतु ग्राम डूंडाहेड़ा की 1.94 है0 भूमि हेतु शासन द्वारा भू–अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक 13–8–09 में जारी की जा चुकी है तथा धारा–6/17 की अधिसूचना दिनांक 13.08.09 को निर्गत हो चुकी है। जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) महायोजना मार्ग हेतु ग्राम शाहपुर बम्हैटा की 20.27 है0 भूमि हेतु भू– अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) सिंचाई, गाजियाबाद को उनकी मांग के अनुसार वांछित धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

(4) महायोजना मार्ग हेतु ग्राम महरौली की 3.77 है0 भूमि हेतु शासन द्वारा भू–अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक 27–6–09 में जारी की जा चुकी है तथा धारा–6/17 की अधिसूचना दिनांक 22.01.2010 का निर्गत की जा चुकी है। जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा भूमि पर कब्जे की कार्यवाही की जा रही है।

(5) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ग्राम मोरटी की 34.83 है0 भूमि हेतु अर्जन प्रस्ताव कलैक्टर गाजियाबाद की आपत्तियों के निराकरण के साथ दिनांक 20–11–09 को अधिनियम की धारा–4/17 की विज्ञप्ति हेतु प्रेषित किया गया ।

(6) प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु ग्राम सदरपुर की 0.47 है0 भूमि हेतु शासन द्वारा भू–अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक 27–8–09 में जारी की जा चुकी है तथा धारा–6/17 की कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) सिंचाई, गाजियाबाद को उनकी मांग के अनुसार वांछित धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

सचिव

(7) महायोजना मार्ग हेतु ग्राम डूडाहेड़ा के अन्तर्गत 0.15 है0 भूमि हेतु अर्जन प्रस्ताव कलैक्टर गाजियाबाद की आपत्तियों के निराकरण के साथ दिनांक 17–12–2009 को अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना हेतु प्रेषित किया गया ।

(8) इलैक्ट्रिक सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम मोरटी की 6.04 है0 भूमि हेतु प्रस्ताव अधिनियम की धारा–4(1)/17 की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कलैक्टर गाजियाबाद द्वारा अपनी संस्तुतियों सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30–10–2009 में भू–अध्यप्ति निदेशालय लखनऊ को प्रेषित किया गया है । प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(9) प्राधिकरण की आवासीय योजना मधुबन/बापूधान के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर की अवशेष 28.92 है0 भूमि हेतु प्रस्ताव कलैक्टर गाजियाबाद की आपत्तियों के निराकरण के साथ दिनांक 30–10–09 को अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना हेतु प्रेषित किया गया ।

(10) महायोजना मार्गो के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा ग्राम नूरनगर, सदरपुर, मोरटी, भोवापुर, मकरमतपुर सिकरोर के अन्तर्गत लगभग 105 है0 भूमि के अर्जन के विभिन्न प्रस्ताव भू–अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की कार्यवाही हेतु कलैक्टर गाजियाबाद को प्रेषित किये गये हैं ।

(11) प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद में एक नई आवासीय योजना हेतु राजस्व ग्राम नूरनगर क्षेत्र के अन्तर्गत 700 है0 भूमि के अर्जन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जो शीघ्र ही भू–अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु कलैक्टर गाजियाबाद को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की हाईटैक सिटी की परियोजना के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी मै0 उप्पल चड्ढ़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0 के अनुज्ञप्तिक क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डासना, सादिकपुरा, काजीपुरा, नाईफल, ब्याना, महरौली एवं शाहपुर बम्हैटा की 583 है0 भूमि हेतु अर्जन प्रस्ताव शासन द्वारा अधिनियम की धारा–4(1)17 की अधिसूचना दिनांक 27–11–09 को जारी की गयी है तथा विकासकर्ता के अनुरोध पर वर्तमान में ग्राम नाईफल एवं ब्याना की भूमि हेतु अधिनियम की धारा–6/17 की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 24–12–2009 में जारी कर दी गयी है । अवशेष भूमि हेतु विकासकर्ता द्वारा धारा–6/17 की कार्यवाही हेतु जमा कराये जाने वाली धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है जिसके कारण उक्त पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

6– **हाईटैक/इन्टीग्रेटेड सिटी के विकास के संबंध में की गई कार्यवाही :–**

शासन के आदेशों के क्रम में वर्तमान तक गाजियाबाद नगर में दो हाईटैक टाउनशिप के विकास हेतु एम0ओ0यू0 निष्पादित है । इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत 07 विकासकर्ताओं की डी0पी0आर0 स्वीकृत है अन्य दो के विचाराधीन है ।

7– **शासन द्वारा गरीबों के लिये घोषित विभिन्न योजनाओं /ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0 जी0 श्रेणी के भवनो की अद्यतन स्थिति :–**

(1) **मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना**

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 हेतु गाजियाबाद शहर में प्रस्तावित 1500 भवनों के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को कार्यदायी

संस्था नामित किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) **सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना का प्रगति विवरण**

इस योजना के अन्तर्गत 07 स्लम बस्तियों का चिन्हीकरण करते हुए एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 161 पात्र लाभार्थियों को चयनित किया गया है। इन सभी 161 लाभार्थियों के साथ पट्टा विलेख निष्पादित करते हुए मालिकाना हक की रसीद दे दी गयी है। पात्र लाभार्थियों में विभिन्न श्रेणी के लाभार्थी निम्नवत् हैं:–

अनुसूचित जाति	–	76
अनुसूचित जनजाति	–	00
पिछड़ा वर्ग	–	45
अल्पसंख्यक	–	33
विकलांग	–	00
अन्य	–	07
योग	–	161

(3) **"सबके लिए आवास कार्यक्रम"**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी** के अन्तर्गत **2400 भवनों** के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा **5624 भवनों** का निर्माण किया जाना निम्नवत् प्रस्तावित है:–

योजना का नाम	कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या	पूर्ण भवनों की संख्या	प्रगतिमान भवनों की संख्या
मधुवन–बापूधाम	5024	2160	2864
राजेन्द्र नगर	360	172	188
प्रताप विहार	240	36	204
योग	**5624**	**2368**	**3256**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **अल्प आय वर्ग श्रेणी** के अन्तर्गत **1200 भवनों/भूखण्डों** के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा **1072 भवनों** एवं **128 भूखण्डों** का निर्माण/विकास किया जाना निम्नवत् प्रस्तावित है:–

योजना का नाम	कुल प्रस्तावित इकाईयों की संख्या	पूर्ण इकाईयों की संख्या	प्रगतिमान इकाईयों की संख्या
मधुवन–बापूधाम	भवन 1072	00	419
	भूखण्ड 128	00	128
योग	**1200**	**00**	**547**

8– **अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण व शमन से प्राप्त आय का विस्तृत ब्यौरा :–**

वर्ष 2009–10 में दिनांक 28.02.10 तक कुल 809 अवैध निर्माण चिन्हित किये गये, जिनमें 350 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 94 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया एवं

एवं इस अवधि में 716 प्रकरणों को शमनित किया गया, जिससे शमन शुल्क के रूप में रू0 63.18 करोड़ की आय हुई है ।

9- **विगत 06 माह में किये गये, कार्यों का विवरण :-**

(1) **नई आवासीय योजना का प्रारम्भ**

प्राधिकरण द्वारा एन.एच.-24 से एन.एच.-58 पर मधुवन-बापूधाम के नाम से 1398 एकड़ क्षेत्रफल में योजना का प्रारम्भ किया गया, जिसमें वर्तमान में 6016 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों तथा 512 एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकताओं के दृष्टिगत योजना में 60 वर्गमीटर, 120 वर्गमीटर, 200 वर्गमीटर, 300 वर्गमीटर के लगभग 3700 भूखण्डों सहित ग्रुप हाउसिंग के 34 भूखण्ड व 08 व्यावसायिक भूखण्ड प्रस्तावित करते हुए योजना के विकास कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

(2) **फ्लाईओवर एवं आर.ओ.बी. का निर्माण**

ठाकुरद्वारा तिराहे पर फ्लाईओवर तथा डायमण्ड पैलेस के निकट आर.ओ.बी. का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के माध्यम से कराते हुए वाहनों हेतु खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ए.एल.टी. सैण्टर के निकट आर.ओ.बी. के निर्माण के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने भाग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रेलवे विभाग का कार्य दिनांक 30.06.2010 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(3) **मैट्रो रेल परियोजना**

आनन्द विहार से वैशाली तक मैट्रो रेल विस्तार (2.57 कि0मी0) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा रु0 130.00 करोड़ का भुगतान पूर्व वित्तीय वर्ष में तथा रु0 130.00 करोड़ का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। मैट्रो रेल पथ में बाधक विद्युत लाईन तथा उपकेन्द्र की शिफ्टिंग का कार्य प्राधिकरण स्तर से पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना को आगामी राष्ट्रमण्डल खेलों से पूर्व पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) **यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण**

प्राधिकरण द्वारा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत वर्तमान में शहर के निम्न मार्गों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण कराया जा रहा है:-

(क) जी.टी. रोड को मेरठ रोड से जोड़ने वाली परियोजना के अन्तर्गत हिण्डन तटवर्ती बन्ध पर 6-लेन चौड़े (8.0 कि0मी0) मार्ग का निर्माण।

(ख) मोहन नगर तिराहे से ज्ञानी बॉर्डर तक (5.60 कि0मी0) जी.टी. रोड को 4-लेन से बढ़ाकर 8-लेन किये जाने का कार्य।

(ग) भोपुरा तिराहे से लोनी रेलवे समपार तक (6.70 कि0मी0) लोनी रोड को 2-लेन से बढ़ाकर 4-लेन किये जाने का कार्य।

(घ) जी.टी. रोड को एन.एच.-24 से जोड़ने हेतु समानान्तर हिण्डन कट कैनाल एवं हिण्डन कट कैनाल के मध्य स्थित बैंक पर 2-लेन चौड़े सड़क तथा हिण्डन कट कैनाल के राईट बैंक पर 2-लेन चौड़े सड़क का निर्माण।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

(5) **सीवरेज व्यवस्था**

प्राधिकरण द्वारा सीवेज निस्तारण के अन्तर्गत चार 56 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एस.बी.आर- (Sequential Batch Reactor) तकनीक पर डूंडाहेडा क्षेत्र में, इन्दिरापुरम, गोविन्दपुरम तथा मधुवन–बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित की जा रही "लोनी सीवरेज परियोजना" धनांक रु0 103.32 करोड़ के अन्तर्गत रु0 29.90 करोड़ की धनराशि सहभागिता के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

(6) **पेयजल परियोजना**

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित की जा रही 100 क्यूसैक गंगाजल परियोजना–फेस–2, धनांक रु0 169.42 करोड़ के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम, वैशाली एवं कौशाम्बी में 15 क्यूसैक गंगाजल उपलब्ध कराने हेतु समानुपातिक धनराशि रु0 19.43 करोड़ प्राधिकरण द्वारा निगम को उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त 15 क्यूसैक गंगाजल के आन्तरिक वितरण हेतु धनांक रु0 53.40 करोड़ की परियोजना प्राधिकरण द्वारा स्वयं सम्पादित करायी जा रही है।

(7) **विद्युत परियोजना**

प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 01 नग 400 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु लगभग चार एकड़ भूमि इन्दिरापुरम योजना क्षेत्र में उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त 33/11 के.वी. 20 एम.वी.ए. क्षमता के 08 नग विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य (इन्दिरापुरम–03, कौशाम्बी–01, प्रताप विहार–01, राजनगर–01, शालीमार गार्डन–01 तथा शास्त्रीनगर–01) कराया जा रहा है।

(8) **अवस्थापना विकास निधि**

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत विगत 6 माह में प्रगतिमान 88 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष 37 कार्ययोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अवशेष कार्ययोजनाओं का कार्य गतिमान है, जो दिनांक 31.03.2010 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विगत 6 माह में निर्माण एवं विकास कार्यों पर रु0 489.50 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ है।

10– **प्रवर्तन से सम्बन्धित प्रत्येक अधिकारी/ अभियन्ता को उनका Job Chart उपलब्ध कराते हुए उनका तद्नुरूप लक्ष्य प्राप्ति हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये :–**

प्रत्येक अधिकारी/अभियन्तागणों को जाब चार्ट उपलब्ध कराते हुए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की पाक्षिक समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है । जाब चार्ट अनुवर्ती संलग्न है ।

(नरेन्द्र कुमार)
सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

जोनवार शमन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2009–10

दिनांक 05.03.2010

जोन	सहायक अभियंता का नाम	लक्ष्य (करोड रु0)	प्राप्ति (करोड रु0)	प्रतिशत
1	श्री वकील अहमद	3.500	2.379	67.97
	श्री अरुण शर्मा	0.500	0.135	27.00
	श्री वेद प्रकाश मुरादनगर	1.500	0.523	34.87
	श्री वेद प्रकाश मोदीनगर	0.500	1.010	202.00
	योग	6.000	4.047	67.45
2	श्री आर0पी0 सिंह	1.500	2.818	187.87
	श्री धीरज सिंह	1.500	1.182	78.80
	श्री एन.के. चौधरी	3.000	1.794	59.80
	योग	6.000	5.794	96.57
3	श्री भूपेन्द्र वीर	20.000	10.534	52.67
	श्री मनोज सिंह	30.000	24.278	80.92
	श्री पी0के0–2	20.000	16.118	80.59
	योग	70.000	50.930	72.75
4	श्री धीरज सिंह	8.500	4.917	57.84
	श्री अरुण शर्मा	5.000	3.730	74.60
	श्री एस.एन.प्रसाद	3.500	1.633	46.66
	योग	17.000	10.280	60.47
धरा	श्री भूपेन्द्र वीर	1.000	0.257	25.70
	महायोग	100.000	71.308	71.31

मद सं0 4

विषय :– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2010–11 का प्रस्तावित आय–व्ययक(बजट)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2010–11 का प्रस्तावित आय–व्ययक(बजट) तैयार कर दिया गया है, जो प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोनार्थ प्रस्तुत है ।

F. C.
G.D.A.

वित्तीय वर्ष 2009-2010 का पुनरीक्षित

एवं

वित्तीय वर्ष 2010-2011 का प्रस्तावित

आय-व्ययक

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

एक सुन्दर शहर-हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्राधिकरण का संक्षिप्त परिचय	1-2
2.	प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा	3
3.	उद्देश्य एवं कार्यकलाप	4
4.	बजट एक दृष्टि में	5
5.	राजस्व आय पक्ष	6-7
6.	राजस्व व्यय पक्ष	8-9
7.	राजस्व आय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ	10-16
8.	राजस्व व्यय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ	17-23

22

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष 2009-2010 का पुनरीक्षित

एवं

वित्तीय वर्ष 2010-2011 का प्रस्तावित

आय-व्ययक

प्राधिकरण का संक्षिप्त परिचय

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित होने के कारण यहां की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है तथा यह काम लगातार जारी है जिसके परिणामस्वरूप आवासीय समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। आवासीय समस्या के निदान एवं नगर के नियोजित विकास हेतु वर्ष 1958 में अधिसूचना संख्या -2 पी/37-50 एवं 57, लखनऊ, दिनांक 10.12.1958 द्वारा विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा बाद में उ० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या 738(1)सेंतीस-2747-डी.ए. 76 लखनऊ, 9 मार्च, 1977 के द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का सृजन किया गया।

प्राधिकरण अपने उद्देश्य एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यकलापों की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिबद्ध है। आवासीय तथा व्यवसायिक समस्याओं के सुनियोजित ढंग से सुलझाने के लिए तथा भूमि के अधिकतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुये, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में सर्वप्रथम बहुमंजिलीय भवनों की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया जिससे भूमि के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ जन सामान्य की सुविधाओं के स्तर से सुधार हुआ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आने वाले ग्रामों का भी विकास कार्य किया जा रहा है, जिससे मुख्य रूप से खड़ंजा, पेयजल व्यवस्था, नालियाँ एवं शौचालय आदि सम्मिलित है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं शहरी सीमा में झुग्गी झोपडी में रहने वाले परिवारों को सस्ते मूल्य के भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये गये है।

प्राधिकरण की सीमा

गाजियाबाद नगर के चारों ओर स्थित 137 ग्रामों के क्षेत्र को गाजियाबाद विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। इन 137 ग्रामों में 19 ग्राम बुलन्दशहर जनपद के भी सम्मिलित थे। कालान्तर में इन ग्रामों को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अधिसूचित कर लिया गया है।

गाजियाबाद विकास क्षेत्र में ग्रामों के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम, मोदीनगर, लोनी एवं मुरादनगर पालिका परिषद के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 452 वर्ग कि०मी० है।

शहर को सुन्दर एवं सुनियोजित तरीके से विकसित करने का समग्र प्रयास भी प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2009-10 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 का प्रस्तावित आय-व्ययक बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड का गठन निम्नवत है :-

1.	प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ।	**अध्यक्ष**
2.	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	**उपाध्यक्ष**
3.	निदेशक पेन्शन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	**सदस्य**
4.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	**सदस्य**
5.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।	**सदस्य**
6.	जिलाधिकारी, गाजियाबाद।	**सदस्य**
7.	नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।	**सदस्य**
8.	श्री हरिमोहन, सभासद, नगर निगम, गाजियाबाद।	**सदस्य**
9.	श्री मुकेश गर्ग, सभासद, नगर निगम, गाजियाबाद।	**सदस्य**
10.	श्री प्रेमचन्द भारती, सभासद, नगर निगम, गाजियाबाद।	**सदस्य**
11.	श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान, सभासद, नगर निगम, गाजियाबाद।	**सदस्य**
12.	श्रीमती सुषमा रानी	**मनोनीत सदस्य**

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

प्राधिकरण द्वारा शहर के सुनियोजित विकास एवं सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के अतिरिक्त मुख्यता: निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं।

- महायोजना (मास्टर प्लान) के अनुसार नियमित रूप से गाजियाबाद मास्टर प्लान, ट्रान्स हिण्डन मास्टर प्लान, लोनी/मोदीनगर क्षेत्र की आवासीय एवं व्यवसायिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भवनों के मानचित्र, विभिन्न कालोनियों के अभिन्यास चित्र (ले-आउट प्लान) की स्वीकृति प्रदान करना।
- अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करना।
- विकसित किये गये क्षेत्रों में आवासों का निर्माण करना।
- नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य करना।
- जल सम्पूर्ति, सड़क निर्माण, पुल, उद्यान एवं मनोरंजन स्थलों के निर्माण के कार्यों के साथ-साथ उनके रखरखाव का कार्य करना।
- प्राधिकरण सहकारी आवास क्षेत्र में भी अन्य सुविधायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को जुटाने में भी कृत संकल्प है।

BUDGET AT A GLANCE

(Rs. in Lacs)

S.No.	Details	Actual for 2008-09	Proposed 2009-10	Actual April to Feb. 2010	Revised Budget 2009-10	Proposed for 2010-11
1	Opening Balance	184233.04	153794.47	153794.47	153794.47	70372.87
2	Receipts	53114.05	101755.00	76993.39	100039.40	121554.50
3	Total	237347.09	255549.47	230787.86	253833.87	191927.37
4	Expenditures	83552.62	199519.00	120320.69	183461.00	174243.00
5	Closing Balance	153794.47	56030.47	110467.17	70372.87	17684.37

Finance Controller Secretary Vice Chairman

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

Income Statement for the year 2010-2011

(Rs. in Lacs)

Code	Head	Actual 2008-09	Proposed 2009-10	Actual 1.4.2009 to 28.2.2010	Revised Budget 09-10	Proposed for 2010-11
2	3	4	5	6	7	8
	Interest Income from Properties					
04010	Interest on Installments	1187.63	1500.00	1406.85	1500.00	2000.00
04020	Penal Intt. on Instalments	229.17	100.00	202.35	225.00	100.00
	Total (1)	**1416.80**	**1600.00**	**1609.20**	**1725.00**	**2100.00**
	Development Charges and Levies					
05010	Building Plan Sanction Fee	101.48	200.00	103.08	200.00	200.00
05020	Compound Charges	4532.92	10000.00	6319.70	10000.00	15000.00
05030	Surveyor's License Fee	0.00	100.00	0.00	10.00	10.00
05040	Penalty by GDA (Non-Conforming Charges)	0.05	10.00	0.00	10.00	10.00
10	Penalty by Court	38.06	25.00	0.12	25.00	25.00
05050	Development Charges	2787.66	5000.00	5945.42	7000.00	10000.00
05060	Betterment Charges/Metro Cess	2.23	100.00	10.38	100.00	100.00
05070	Malwa Charges	91.99	200.00	86.88	200.00	200.00
05080	Land Use Change Fee	424.91	5000.00	22.51	1000.00	5000.00
05085	Supervision Charges	161.78	500.00	329.92	500.00	500.00
05090	Completion Charges	4.49	50.00	1.91	20.00	50.00
8	Levy on Non-Construction	29.84	35.00	26.01	35.00	35.00
05095	Others (F.A.R., Impact Charges etc.)	3493.24	5000.00	372.66	2000.00	5000.00
	Total (2)	**11668.65**	**26220.00**	**13218.59**	**21100.00**	**36130.00**
	Income From Properties					
9	Transfer Fee	290.89	400.00	300.90	400.00	400.00
01010	Lease Rent	1130.77	1500.00	502.39	600.00	1500.00
01020	Building Rent	7.00	6.00	2.04	3.00	2.50
01030	Rent of Shop	19.88	20.00	14.99	20.00	20.00
01040	Hire-Charges/Booking Income From Community Center Conference Hall	10.74	10.00	2.93	10.00	10.00
13	Free Hold Charges	50.63	100.00	43.40	100.00	100.00
01050	Others	81.38	90.00	80.36	90.00	100.00
	Total (3)	**1591.29**	**2126.00**	**947.01**	**1223.00**	**2132.50**
	Other Income from Sale/Transfer of Properties					
2	Share of Registration Charges on Transfer/Sales of Properties (2% Stamp Duty)	2100.00	5000.00	3641.92	5000.00	5000.00
	Total (4)	**2100.00**	**5000.00**	**3641.92**	**5000.00**	**5000.00**
04030	**Income From Investments**					
	Interest on TDR/FDR	14864.97	10000.00	6021.30	8000.00	7000.00
	Interest on SB A/C	0.22	250.00	0.00	100.00	100.00
	Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (5)	**14865.19**	**10250.00**	**6021.30**	**8100.00**	**7100.00**
52	**Recovery From Projects**					
52010	Cement	621.68	700.00	1287.79	1500.00	2000.00
52020	Steel	496.87	600.00	1942.61	2200.00	2500.00

52030	Maxfault	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
52050	G.I. Pipe	36.32	30.00	0.00	30.00	30.00
52060	Testing Fee, Temp. Deductions/Permanent Deduction & Others	28.59	100.00	486.42	500.00	200.00
	Total (6)	**1207.92**	**1430.00**	**3716.82**	**4230.00**	**4730.00**
6	**Other Incomes**					
06010	Sales of Master Plan Book/tender Form	1.33	5.00	18.51	20.00	25.00
06030	Broucher/Other Form	346.67	600.00	250.41	300.00	300.00
06040	Registration of Contractors/Suppliers/Architects	17.03	100.00	12.69	25.00	50.00
3	Water Charges/Road Cutting/Roller etc.	129.79	200.00	125.05	200.00	200.00
11010	Security Deducted-Contractors	497.78	500.00	1523.57	1800.00	2000.00
11020	Security From Employees	0.19	1.00	0.00	1.00	1.00
12	Others (R.T.I., Maint. Service Restoration Charges & Sale of Plants)	347.08	500.00	149.50	200.00	200.00
	Total (7)	**1339.87**	**1906.00**	**2079.73**	**2546.00**	**2776.00**
7	**Income by Deduction (Refund)**					
7010	Plot	0.01	3.00	0.03	0.10	1.00
7020	Building	2.88	5.00	696.00	700.00	10.00
	Total (8)	**2.89**	**8.00**	**696.03**	**700.10**	**11.00**
50-51	**Sales of Plot/Land**					
50010	Sale of Plots-Residential	1837.59	9000.00	2736.58	3000.00	10000.00
50020	Sale of Plots-Commercial	4600.42	10000.00	3963.13	5000.00	10000.00
50030	Sale of Plots-Bulk	1640.02	2000.00	641.06	700.00	1000.00
51010	Sale of Building-Residential	3299.45	4000.00	7119.52	9000.00	9000.00
51030	Sale of BIG-Shops/Commercial	1027.56	2000.00	285.42	500.00	1000.00
51040	Other/Bulk Sale (Commercial)	793.48	2000.00	1311.56	2000.00	2000.00
51050	Sale of Rented Properties	157.92	100.00	51.35	100.00	50.00
	Total (9)	**13356.44**	**29100.00**	**16108.62**	**20300.00**	**33050.00**
54	**Loan Receipts**					
54010	Debentures & Bonds	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
54020	State Government	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
54030	Financial Institution & Banks	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
54040	Other/NCR (Ganga Water)		0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (10)	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**
55	**Recovery of Loans**					
55010	Housing Loan	0.92	1.00	1.22	1.30	1.00
55020	Vehicle Loan	0.00	1.00	0.56	1.00	1.00
55030	Others (HPDA)	900.00	4100.00	0.00	4100.00	10.00
	Total (11)	**900.92**	**4102.00**	**1.78**	**4102.30**	**12.00**
	Deposits Agst. Works and Properties					
56	Government Grants	0.00	8000.00	935.00	2000.00	500.00
11030	Regn. Money-Plots	4659.23	7000.00	27455.97	28000.00	20000.00
11040	Regn. Money-Building	4.85	5000.00	561.42	1000.00	8000.00
58	Other Deposit Against Work	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
	Total (12)	**4664.08**	**20010.00**	**28952.39**	**31010.00**	**28510.00**
	Grand Total	**53114.05**	**101755.00**	**76993.39**	**100039.40**	**121554.50**

Ghaziabad Development Authority
Expenditure Statement for the year 2010-11

(Rs. in Lacs)

Code	Head	Actual 2008-09	Proposed 2009-10	Actual 1.4.09 to 28.2. 2010	Revised Budget 09-10	Proposed for 2010-11
2	3	4	5	6	7	8
4	**Establishment Cost**					
4140	Salary	1702.32	2300.00	2605.93	2900.00	3200.00
4150	Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Pension Fund	66.68	70.00	74.04	81.00	90.00
4170	C.P.F.	250.55	300.00	201.61	300.00	300.00
4180	G.I.S.	1.58	2.00	1.44	2.00	2.00
4190	Medical Reimbursement	18.48	15.00	8.88	15.00	15.00
4210	Honrarium	4.45	5.00	1.79	5.00	5.00
4220	Bonus	16.13	25.00	0.00	25.00	100.00
4230	Leave Encashment	0.43	5.00	1.50	5.00	5.00
4250	G.P.F./Others	16.68	18.00	13.87	18.00	18.00
	Total (1)	**2077.30**	**2740.00**	**2909.06**	**3351.00**	**3735.00**
	Training & Work Shop	98.01	100.00	41.53	100.00	100.00
	Total (2)	**98.01**	**100.00**	**41.53**	**100.00**	**100.00**
	Vehicle Running					
010	Repair & Maintenance	51.54	60.00	53.40	60.00	60.00
020	P.O.L	107.08	120.00	91.42	120.00	120.00
	Total (3)	**158.62**	**180.00**	**144.82**	**180.00**	**180.00**
	Survey Expenses	45.10	300.00	101.74	300.00	300.00
	Total (4)	**45.10**	**300.00**	**101.74**	**300.00**	**300.00**
	Administration Cost					
010	Legal Expenses (Court)	235.26	250.00	164.17	250.00	200.00
020	Stationery Expenses	27.87	35.00	34.50	40.00	45.00
030	Printing	78.42	100.00	65.96	100.00	100.00
040	Uniform	17.83	15.00	14.99	15.00	18.00
050	Telephone	46.10	60.00	48.90	60.00	60.00
060	Electricity	38.95	50.00	20.34	50.00	50.00
080	House & Water Tax	18.79	30.00	0.00	30.00	30.00
090	Postage	3.29	5.00	5.86	6.00	8.00
100	Entertainment, Refreshment & Meeting	22.23	25.00	10.59	25.00	25.00
110	Audit Fee	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00
120	Library News Paper Etc.	1.02	1.00	0.82	1.00	1.00
130	Purchase of Revenue Stamps	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
140	Expenses on V.C. Discretion	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
150	Sports	2.17	3.00	2.33	3.00	3.00
160	Travelling Charges	29.67	35.00	21.71	30.00	30.00
180	Computer Software	2.18	50.00	12.29	20.00	50.00
190	Publicity of Various Schemes	1721.53	1500.00	760.89	1000.00	1000.00
200	Awas Bandhu U.P. Govt.	20.00	20.00	20.23	20.00	20.00
210	Function, Inaugurations & Welcome/Farewell	10.81	15.00	7.93	15.00	15.00
	Office Equipments	11.28	15.00	12.91	15.00	15.00
220	Miscellaneous Expenses	76.85	90.00	33.87	50.00	60.00

	Total (5)	**2664.25**	**2501.00**	**1438.29**	**1932.00**	**1932.00**
	Repair & Maintenance (Civil, Elect. Etc.)					
29010	Office Building	205.26	200.00	132.03	200.00	50.00
29020	Residential Building	98.72	50.00	59.37	70.00	50.00
29030	Drainage	11.82	12.00	0.06	1.00	5.00
9040	Sewage	26.80	20.00	16.14	20.00	20.00
9045	Water Supply	83.96	90.00	85.81	90.00	90.00
9050	Electricity	107.94	120.00	105.99	120.00	120.00
9060	Computer Maintenance	19.43	25.00	20.58	25.00	30.00
9080	Horticulture Maintenance etc.	975.76	1300.00	1285.73	1300.00	1200.00
9090	Other Big. Community Centres Hostel etc.	30.11	30.00	14.59	30.00	30.00
9095	Colonies of Dev. Authority Area	24.39	50.00	18.88	25.00	50.00
	Total (6)	**1584.19**	**1897.00**	**1739.18**	**1881.00**	**1645.00**
0	**Land Payments**	18414.27	50000.00	20335.62	50000.00	50000.00
	Total (7)	**18414.27**	**50000.00**	**20335.62**	**50000.00**	**50000.00**
1	**Purchase of Fixed Assets**					
1010	Mechanical Equipments	0.27	10.00	0.20	10.00	10.00
1020	Purchase of Jeep/Car	11.11	10.00	29.78	30.00	10.00
	Total (8)	**11.38**	**20.00**	**29.98**	**40.00**	**20.00**
2, 73, 74	Land Development/Construction Cost/Store	46436.10	130000.00	71409.02	100000.00	100000.00
	Total (9)	**46436.10**	**130000.00**	**71409.02**	**100000.00**	**100000.00**
	Loans & Advances					
5	Employees-Loans	0.00	5.00	0.00	1.00	5.00
6	Employees-Advances	1079.45	300.00	1061.31	1100.00	500.00
6010	Advance to Metro/Contractor/Suppliers			13497.37	13500.00	100.00
	Total (10)	**1079.45**	**305.00**	**14558.68**	**14601.00**	**605.00**
8	**Repayment of Loans**	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
	Total (11)	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**
9	**Refund of Deposits**					
9010	Refund on Cancel/Surrender-Plots	31.51	50.00	404.17	450.00	50.00
9020	Refund on Cancel/Surrender-Buildings-Commercial	9.80	100.00	15.81	100.00	100.00
9030	Refund as per Court Order	77.65	100.00	31.37	100.00	100.00
	Total (12)	**118.96**	**250.00**	**451.35**	**650.00**	**250.00**
4	**Refund of Security/Regn. Amount**					
4010	Refund of Security of Contractors	826.67	1000.00	168.50	200.00	250.00
4020	Refund of Security of Employees	0.34	1.00	0.00	1.00	1.00
4040	Registrations/Earnest Money	10029.53	10000.00	6986.19	10000.00	15000.00
4050	Refund of Security on Community Center/GuestHouse	1.43	5.00	0.47	5.00	5.00
	Total (13)	**10857.97**	**11006.00**	**7155.16**	**10206.00**	**15256.00**
0	**Future Maintenance (Facilitation Services paid to Nagar Nigam)**	7.02	200.00	6.26	200.00	200.00
1	Deposit Works (Payment to Muradnagar, Loni & Dadri Parishad)	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
	Total (14)	**7.02**	**210.00**	**6.26**	**210.00**	**210.00**
	Grand Total	**83552.62**	**199519.00**	**120320.69**	**183461.00**	**174243.00**

राजस्व आय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ

1. ब्याज से आय

भवनों/भूखण्डों की किश्तों पर ब्याज/दण्ड ब्याज (04010/04020)

इस शीर्षक के अन्तर्गत किस्तों के आधार पर विक्रय की गई सम्पत्ति के निर्धारित भुगतान सारणी में शामिल साधारण ब्याज एवं किस्तों को देरी से जमा किए जाने पर दण्ड ब्याज की राशि को दर्शाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राविधानित राशि रु. 1600.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु. 1609. 20 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। चालू वर्ष 2009-10 के लिए पुनरीक्षित आय रु. 1725.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 2100.00 लाख की आय का प्राविधान किया जा रहा है।

2. मास्टर प्लान की मदों से आय :

मानचित्र शुल्क से आय (05010)

प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में किए जाने वाले निर्माण कार्यों को "बिल्डिंग बाइलाज" के अनुसार सुनियोजित निर्माण हेतु मानचित्र प्राधिकरण द्वारा पास किए जाते है। इस हेतु जो राशि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त होती है। उसको इस शीर्षक में दर्शाया जाता है। वर्ष 2009-10 में प्राविधानित राशि रु. 200.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु. 103.08 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2009-10 के लिए पुनरीक्षित अनुमान रु. 200.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के हेतु रु. 200.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

समाधान शुल्क : (05020)

ऐसे भवनो जो स्वीकृत प्लानो के अनुसार नहीं बनाए जाते, उनमें बिल्डिंग बाईलाज में निहित विचलन से जो राशि प्राप्त की जाती है इस मद में दर्शायी जाती है। वर्ष 2009-10 में प्राविधानित राशि रु. 10000.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 10 तक रु. 6319.70 लाख की आय प्राप्त हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय

वर्ष लिए पुनरीक्षित अनुमान रु. 10000.00 लाख एवं वित्तीय 2010-11 हेतु रु. 15000.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

लाईसेंस शुल्क : (05030)

इस मद में प्राईवेट बिल्डर्स द्वारा जो कालोनियाँ विकसित की जा रही है उनमें शासन के निर्देशानुसार प्रति एकड़ की दर से लाईसेन्स फीस ली जानी प्रस्तावित है। तदानुसार इस मद में रु. 10.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

न्यायालय द्वारा आरोपित दण्ड से आय : (10)

अनाधिकृत निर्माणों पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध बिल्डिंग बाइलाज की धाराओं के अन्तर्गत चालान किए जाते हैं। जिनके विपरीत निर्माणकर्ता न्यायालय की शरण में चले जाते हैं पर न्यायालय द्वारा इस प्रकार के निर्माण पर जो दण्ड लगाया जाता है। इस मद में रु. 25.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु. 0.12 लाख की प्राप्ति हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु. 25.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु. 25.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है।

विकास शुल्क : (05050)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निजी बिल्डर्स द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं व प्राईवेट कालोनियों के भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार विकास शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2009-10 आय अनुमान रु. 5000.00 के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु. 5945.42 लाख की प्राप्ति हुई है। इसी को दृष्टीगत रखते हुए, इस मद में 2009-10 के लिए पुनरीक्षित अनुमान रु. 7000.00 लाख एवं 2010-11 हेतु रु. 10000.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

लेवी से आय : (08)

आवंटित भूखण्डों पर नियमानुसार निर्माणावधी अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न न कराने पर आवंटियों से नियमानुसार प्रति वर्ष लेवी चार्ज की जाती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस मद से रु. 35.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था।

जिसके विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 26.01 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित आय रु० 35.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु० 35.00 लाख का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

3. किराये से आय

इस शीर्षक के अन्तर्गत किराये से प्राप्त आय की निम्नलिखित कुल 7 उपमदों को शामिल किया गया है :

हस्तान्तरण शुल्क/नामान्तरण : (09)

शासन की नीतियों के अनुसार सम्पत्तियों का निस्तारण फ्रीहोल्ड के आधार पर किया जा रहा है। क्रेता Re-Sale की स्थिति में इच्छानुसार यदि प्राधिकरण के लेखे में अपना नाम दर्ज करना चाहता है तो विक्रय राशि का एक प्रतिशत जमा करा सकते है। इस मद के रु० 400.00 लाख के अनुमान के विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 300.90 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए रु० 400.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु० 400.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

लीज किराया : (01010)

प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड 90 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर विक्रय किये जाते है। पूर्व वर्षों में निर्धारित लीज किराया प्रत्येक वर्ष का आवंटियों को जमा करना होता था। शासनादेश संख्या 7695/11/5/80 नि. 86 दिनांक 23.10.86 के द्वारा भूखण्डों का लीज किराया उनकी कीमत का 10 प्रतिशत भूखण्ड का कब्जा देते समय ही प्राप्त करने की सुविधा लागू की गयी। इस मद में रु० 1500.00 लाख की आय अनुमान के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 502.39 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2009-10 के लिए पुनरीक्षिण अनुमान रु० 600.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु० 1500.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

भवनों का किराया : (01020)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा किराये पर आवंटित भवनों से प्राप्त धनराशि को दर्शाया जाता है। किराये के भवनों को शासन की नीति के तहत विक्रय किया जा रहा है। वर्तमान में केवल अतिदेय की वसूली भी की जा रही है। अतः इस मद में रु० 6.00 लाख का आय अनुमान रखा गया था, जिसके विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 2.04 लाख की प्राप्ति हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 3.00 लाख एवं 2010-11 हेतु रु० 2.50 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

दुकानों का किराया : (01030)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा किराये पर आवंटित दुकानों से प्राप्त धनराशि को दर्शाया जाता है। इस मद में रु० 20.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था, जिसके विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 14.99 लाख की प्राप्ति हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 20.00 लाख की एवं वर्ष 2010-11 हेतु रु० 20.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

सामुदायिक केन्द्र का किराया : (01040)

इस वर्ष के आय अनुमान रु० 10.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 2.93 लाख की प्राप्ति हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 10.00 लाख एवं 2010-11 हेतु रु० 10.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

फ्री-होल्ड चार्जेज : (13)

चालू वर्ष के आय अनुमान रु० 100.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 43.40 लाख की प्राप्ति हुई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 100.00 लाख एवं 2010-11 हेतु रु० 100.00 लाख का अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

35

अन्य किराया : (01050)

इस मद के अन्तर्गत कार्यालय प्रांगण में स्थित कैन्टीन, यू.पी. बार्डर पर प्लाट/शेड, हापुड मार्ग पैट्रोल पम्पों के भूखण्ड, पार्कों आदि से प्राप्त आय को दर्शाया जाता है। इस मद में रु० 90.00 लाख की आय का अनुमान रखा गया था जिसके विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 80.36 लाख की प्राप्त हुई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 90.00 लाख एवं 2010-11 हेतु रु० 100.00 लाख की आय प्रस्तावित किया जा रहा है।

4. स्टाम्प ड्यूटी से आय : (02)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र/नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले भूखण्डों/भवनों की रजिस्ट्री के समय देय 2% स्टाम्प ड्यूटी का 1/3 भाग प्राप्त होता है। इस मद में प्रस्तावित अनुमान रु० 5000.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 3641.92 लाख की प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 5000.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 5000.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

5. विनियोग पर ब्याज : (04030)

प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न बैंकों में एफ.डी.आर. के रूप के विनियोग की गई राशि पर एवं बचत बैंक खातों पर मिलने वाले ब्याज को दर्शाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए प्राविधानित रु० 10000.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 6021.30 लाख की प्राप्ति हुई है। पुनरीक्षित अनुमान रु० 10000.00 लाख एवं वर्ष 2010-11 हेतु रु० 7000.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

6. भण्डार की कटौतियाँ (52)

इस मद के अन्तर्गत निर्माण/विकास कार्यों के विरुद्ध ठेकेदारों को निर्गत की गई सामग्री जैसे स्टील, सीमेंट आदि की वसूली उनके चालित देयकों से की जाती है। वसूल की गई धनराशि को इस मद में दर्शाया जाता है। यह मद वास्तव में आय की मद नहीं है। इस मद में कुल कटौती रु० 1430.00 लाख के अनुमान के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 3716.82 लाख की रही है। चालू वर्ष में चल रहे निर्माण/विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए, चालू वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 4230.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 4730.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

7. अन्य आय : (06)

इस मद में कुल 7 उपमदों को मिलाकर रु० 1906.00 लाख का प्राविधान किया गया था। जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 2079.73 लाख की प्राप्ति हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 2546.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 2776.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

8. रिफण्ड पर कटौती से आय

इस मद के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को यदि आवंटी स्वेच्छा से परित्याग करता है, अथवा प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किया जाता है, तो नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा रिफण्ड योग्य राशि से कटौती की जाती है। चालू वर्ष हेतु प्राविधानित राशि रु० 8.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 696.03 लाख की कटौती की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 700.10 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 11.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

9. सम्पत्ति की बिक्री से आय : (50-51)

इस मद के अन्तर्गत विक्रय की गई सम्पत्ति से मूल्य के विरूद्ध प्राप्त राशि को दर्शाया जाता है। चालू वर्ष हेतु रु० 29100.00 लाख प्राविधानित था, जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 16108.62 लाख की प्राप्ति हुई है, इसी क्रम में चालू वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 20300.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 33050.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

10. ऋण प्राप्ति

इस मद के अन्तर्गत ऋण प्राप्त राशि को दर्शाया जाता है। प्राधिकरण द्वारा इस मद में वर्ष 2009-10 के लिए रु० 3.00 लाख का प्राविधान किया गया था, परन्तु कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 3.00 लाख को टोकन प्राविधान किया जा रहा है।

11. ऋण वसूली

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को दिए गए भवन निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिम की वसूली के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का दर्शाया जाता है। प्राविधानित राशि रु० 2.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 1.78 लाख की वसूली की गई है। इसलिए चालू वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 2.30 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 2.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

12. डिपोजिट् अगेंस्ट वर्क्स एवं प्रोपर्टीईज़

इस मद के अन्तर्गत शासन से प्राप्त होने वाली शासकीय ग्रान्ट के अतिरिक्त योजनाओं में आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली पंजीकरण राशि को दर्शाया जाता है। चालू वर्ष हेतु रु० 12000.00 लाख की प्राविधानित राशि के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 28017.39 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में चालू वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 29000.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 28000.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

राजस्व व्यय के प्रस्तावों पर विस्तृत टिप्पणियाँ

1. अधिष्ठान के वेतन भत्ते : (24)

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के नियमित, दैनिक वेतन व कान्ट्रैक्ट पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि के व्यय को दर्शाया जाता है। वेतन के अतिरिक्त चिकित्सा-व्यय, मानदेय, बोनस, अवकाश नकदीकरण, अवकाश वेतन, पेन्शन अंशदान आदि अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय इसी मद में आते है। इस मद में कुल रु० 2740.00 लाख का प्राविधान विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 2909.06 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 3351.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु० 3735.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

2. रिसर्च, ट्रेनिंग, डिजाईन एवं परामर्श शुल्क : (25)

प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं पर बाहरी एजेन्सियों से परामर्श एवं आर्किटैक्ट आदि पर व्यय, बैलेन्स शीट बनवाने पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को किया गया भुगतान तथा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर किये गये व्ययों को इस मद में दर्शाया जाता है। इस वर्ष व्यय अनुमान रु० 100.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 41.53 लाख का व्यय हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित अनुमान रु० 100.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु० 100.00 लाख का अनुमान प्रस्तावित है।

3. मशीनरी, संयत्र, जीप व स्टाफ कार आदि पर व्यय : (26)

प्राधिकरण के वाहनों, पम्प सैट तथा जनरेटर की मरम्मत एवं पैट्रोल, डीजल आदि के व्ययों को उपरोक्त मद में शामिल किया जाता है। इस वर्ष इन मदों के व्यय प्राविधान रु० 180.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 144.82 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु. 180.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 180.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

4. सर्वे : (31)

नई योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व भूमि तथा क्षेत्र के सर्वे पर किया जाने वाला व्यय इस मद में दर्शाया जाता है। व्यय प्राविधान रु. 300.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 101.74 लाख का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 300.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 300.00 लाख व्ययानुमान प्रस्तावित है।

5. कार्यालय प्रकीर्ण व्यय : (27)

इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कार्यालय के सामान्य कार्यकलापों के संचालन हेतु आवर्तक व्यय का प्राविधान किया जाता है। व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य से लेखन सामग्री, मुद्रण, यात्रा भत्ता, कर्मचारियों को वर्दी, दूरभाष, कार्यालय के विद्युत बिलों के भुगतान, कम्प्यूटर, सोफ्टवेयर डाक व रसीदी टिकट पर व्यय, सम्परीक्षा शुल्क, खेलकूद, पुस्तकालय पत्रिका एवं समाचार पत्रों पर व्यय, गृहकर एवं जलकर, विज्ञापन तथा विधि व्यय आदि का प्राविधान किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलपान एवं अतिथि स्वागत पर व्यय तथा राष्ट्रीय पर्वों पर होने वाले व्ययों के लिये प्राविधान किया जाता है। शासनादेश सं. 2713/9-आ-11 विविध/97 दिनांक 07.06.97 के तहत रु० 20.00 लाख प्रतिवर्ष का भुगतान आवास बन्धु उ.प्र. शासन को किया जाना है। सुविधा की दृष्टि से इस शीर्षक में दर्शाया जाता है।

चालू वर्ष योजनाओं के प्रसारणों पर रु० 1500.00 लाख का व्यय प्राविधान किया गया जिसके विपरीत रु० 760.89 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 1000.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 1000.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

चालू वित्तीय वर्ष हेतु कानूनी व्यय हेतु रु० 250.00 लाख का प्राविधान किया गया, जिसके विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 164.17 लाख का हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 250.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 200.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

कार्यालय लेखन सामग्री मद में रु० 35.00 लाख का व्यय प्राविधान के विपरीत माह जनवरी 2010 तक रु० 34.50 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 40.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 45.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

बिजली आपूर्ति के मद में रु० 50.00 लाख के प्राविधान के विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 20.34 लाख का हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 50.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 50.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

प्राधिकरण के लेखों का ऑडिट स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है, जिसके लिये शासन द्वारा निर्धारित फीस देय होती है। रु० 200.00 लाख का व्यय प्राविधान के विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 200.00 लाख का व्यय हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 200.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 200.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है। यात्रा भत्ता मद में रु० 35.00 लाख के व्यय का प्राविधान के विपरीत रु० 21.71 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 30.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 30.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

इस प्रकार प्रकीर्ण व्यय मद के अन्तर्गत समस्त मदों को मिलाकर कुल रु० 2501.00 लाख के व्ययानुमान के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 1438.29 लाख का व्यय किया गया है। तदानुसार इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष के लिए रु० 1932.00 लाख पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रु० 2032.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

6. रख-रखाव पर व्यय : (29)

इस मद के अन्तर्गत कुल 10 उपमदें सम्मिलित है, जिसमें कार्यालय भवन, स्टाफ आवासीय भवन रख-रखाव, जलोत्सारण, सीवरेज, जल सम्पूर्ति, विद्युत रख रखाव, पार्क आदि के रख रखाव के व्यय को अलग-अलग दर्शाया गया है। इन समस्त उप मदों को मिलाकर रखरखाव मद पर कुल रु० 1897.00 लाख के व्यय का प्राविधान के विपरीत माह फरवरी 2010 तक कुल रु० 1739.18 लाख हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 1881.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 1645.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

7. भूमि अर्जन व्यय : (70)

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु भूमि अर्जन व्यय का प्राविधान इस मद में किया जाता है। व्यय प्राविधान रु. 50000.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 20335.62 लाख का व्यय किया गया है। प्रस्तावित योजनाओं के अधिग्रहण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, चालू वित्तीय-वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 50000.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 50000.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

8. मशीनरी, संयंत्र तथा स्टाफ कार का क्रय : (71)

इस मद में रु० 20.00 लाख के व्यय प्राविधान के विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 29.98 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष पुनरीक्षित अनुमान रु० 40.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 20.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

9. विकास कार्य/निर्माण/भण्डार : (72) / अवस्थापना (82)

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के विकास निर्माण से सम्बन्धित कार्यों का व्यय दर्शाया जाता है, जिसमें भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण, जल सम्पूर्ति, जलोत्सारण, वर्षा जल निकासी, विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था, वृक्षारोपण, हरित पट्टी एवं पार्क निर्माण एवं अवस्थापना आदि के व्यय सम्मिलित है। वर्ष 2009-10 में योजनाओं के विकास कार्यों हेतु रु० 130000.00 लाख का व्यय प्राविधान किया गया था, जिसके विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 71409.02 लाख का व्यय हुआ है। प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाले कार्य एवं अवस्थापना के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 100000.00 लाख एवं विभिन्न योजनाओं के अपूर्ण निर्माण एवं विकास कार्य, फ्लाई ओवर/आर.ओ.बी. तथा नई प्रस्तावित योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए है एवं मैट्रो परियोजना पर होने वाले व्यय को शामिल करते हुए रु० 100000.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

10. ऋण एवं अग्रिम

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को शासनादेश अनुसार दिए जाने वाले भवन निर्माण/वाहन क्रय अग्रिम की राशि के साथ-साथ विभिन्न कार्यों को विभागीय पद्धति से कराये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का कार्य अग्रिम के रूप में दी गई राशि को दर्शाया जाता है। चालू वर्ष हेतु प्राविधानित रु० 305.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 14558.68 लाख का व्यय हुआ है। इस मद में प्राविधान से अधिक खर्चा होने का मुख्य कारण यह रहा है कि मधुबन-बापूधाम एवं मैट्रो को दी गई धनराशि एडवांस के रूप में दी गई है। चूंकि यह राशि समायोजन योग्य है। इसलिए पुनरीक्षित अनुमान रु० 14601.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 605.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

43

11. ऋण वापसी

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन हेतु लिए गए ऋण की राशि का प्रतिदान दर्शाया जाता है। चूंकि प्राधिकरण द्वारा कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए इस मद में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 10.00 लाख का टोकन प्राविधान किया जा रहा है।

12. जमा किश्तों की वापसी, निरस्त व परित्याग पर : (79)

उक्त मदों के अन्तर्गत भूखण्डों तथा भवनों के आवंटन के पश्चात् जो आवंटी भवनों/भूखण्ड का परित्याग करते है अथवा प्राधिकरण द्वारा आवंटन अनियमित होने पर निरस्त किया जाता है, निरस्तीकरण उपरांत वापसी योग्य राशि इस मद के अन्तर्गत दर्शायी जाती है। कई मामलों में रिफण्ड के साथ-साथ न्यायालय के आदेश होने पर क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ती है। इस क्षतिपूर्ति के भुगतान को अलग उपमद में इसी मद में दर्शाया जाता है। इस मद में कुल रु० 250.00 लाख का व्यय प्राविधान किया गया था, जिसके विपरीत माह फरवरी 2010 तक रु० 451.35 लाख का व्यय हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान रु० 650.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 250.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

13. जमानत/पंजीकरण की वापसी : (34)

इस मद के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पंजीकरण राशि का 'ड्रा' उपरान्त असफल आवेदकों को वापस किए जाने के साथ-साथ प्राधिकरण में कार्यरत ठेकेदारों के चालू बिलों से काटी गई नकद जमानत राशि के कार्य सन्तोषजनक रूप सम्पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्ध शर्तों के अधीन जमा राशि को अवयुक्त किया जाता है। चालू वर्ष 2009-10 हेतु इस मद में शामिल 4 उपमदों में कुल रु० 11006.00 लाख प्राविधानित था, जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 7155.16 लाख की वापसी हुई है। विभिन्न योजनाओं के 'ड्रा' की स्थिति के दृष्टिगत चालू वर्ष हेतु रु० 10206.00 लाख का पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रु० 15256.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है।

14. नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनी के हेतु : (80)

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जो कॉलोनियों को पूर्ण रूप से विकसित करने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित की जाती है, उनमें हस्तान्तरण के समय नगर निगम इस मांगी राशि को दर्शाया जाता है। चालू वर्ष हेतु रु० 200.00 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2010 तक रु० 6.26 लाख का व्यय किया गया है। इसी क्रम में चालू वर्ष हेतु रु० 200.00 लाख का पुनरीक्षित एवं 2010-11 के लिए रु० 200.00 लाख का व्ययानुमान प्रस्तावित है।

121
12/3/2010

मद संख्या : **5**

विषयः– प्राधिकरण की मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना हेतु अर्ह–भू–स्वामियों को अधिग्रहीत भूमि की दी जाने वाली 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दिये जाने तथा योजना के खोले जाने वाले पंजीकरण में स्थानीय कास्तकारों को 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना हेतु ग्राम सदरपुर, रसूलपुर–याकूतपुर, मोहिउददीनपुर–मैनापुर, नगला पाठ एवं ग्राम मोरटा की 1234.131 एकड़ भूमि भू–अर्जन अधिनियम–1894 के अन्तर्गत अर्जित कर अपर–जिलाधिकारी (भू–अर्जन), सिंचाई, गाजियाबाद द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है। योजना में आपसी समझौते के आधार पर करार से प्राप्त भूमि पर भवनों का निर्माण/विकास कार्य प्रगति पर था परन्तु दिनॉक 01.02.2010 को प्रभावित कास्तकारों द्वारा अपनी माँगे पूरी कराने हेतु कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया तथा निर्माण/विकास कार्य बन्द करा दिये गये।

करार की शर्तो के निर्धारण के समय यह सहमति बनी थी कि ग्रेटर नोएडा की तरह अर्जित भूमि के एवज में सम्बन्धित कास्तकारों को आबादी विस्तार हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 09.09.2005 के अनुसार अर्ह कृषकों की अर्जित होने वाली भूमि का 5 प्रतिशत विकसित भू–खण्ड आवंटित किये जायेंगे तथा यह आवंटन गाँव की आबादी से लगी भूमि पर विकास कार्य कराकर भू–अधिग्रहण पर होने वाले वास्तविक व्यय को जोड़कर बिना लाभ–हानि के उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

अर्जित भूमि के सम्बन्ध में आपसी समझौते के आधार पर जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनॉक 08.10.2007 को कास्तकारों के साथ हुई बैठक में हुए समझौता–पत्र के बिन्दु–8 के अनुसार आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के अनुसार उसी योजना जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, में अर्ह श्रेणी के अनुसार भिन्न–भिन्न ब्लाकों/सैक्टरों में आवंटित किये जायेंगे तथा अर्जित भूमि का प्रतिकर समस्त लाभों सहित रु0 1100.00 प्रति वर्ग0मी0 की दर से निर्धारित किये जाने पर सहमति बनी थी।

प्राधिकरण बोर्ड की 119 वीं बैठक दिनॉक 05.09.2009 में प्राधिकरण की मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना हेतु 5 प्रतिशत के स्थान पर अधिग्रहित भूमि का 6 प्रतिशत भूमि अर्ह भू–स्वामियों के पुर्नवास हेतु आवंटित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना में चल रहे निर्माण/विकास कार्यो को कास्तकारों के द्वारा दिनॉक 01.02.2010 से इस माँग के साथ बन्द करा दिये गये कि योजना में कास्तकारों को दी जाने वाली 6 प्रतिशत भूमि का मूल्य जब तक निर्धारित नही किया जाता है, तब तक निर्माण/विकास कार्य बन्द रहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में कास्तकारों के साथ दिनॉक 01.02.2010 से

(नरेन्द्र कुमार)
सचिव

डी० के० त्यागी
अधिशासी अभियन्ता–प्रथम

दिनाँक 10.02.10 तक चली कई बैठकों में उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य माँगों के उपरान्त दिनाँक 10.02.2010 तक चली कई बैठकों में दिनाँक 10.02.2010 को निम्न प्रकार सहमति हुई है :-

(1) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, अर्ह कास्तकारों को रु0 3350.00 (रु0 तीन हजार तीन सौ पचास मात्र) प्रति व0मी0 की दर से मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने पर सहमत है।

(2) उक्त भू-खण्ड दिनाँक 08.10.2007 को हुए समझौते के अनुसार अर्हता श्रेणी के अनुसार मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के भिन्न-भिन्न ब्लाकों/सैक्टरों में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये योजना के ले-आउट प्लान पर किसी को कोई आपत्ति नही होगी।

(3) प्रभावित कास्तकारों को उक्त 6 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराये जाने की दर के निर्धारण के सम्बन्ध में दिनाँक 01.02.2010 से चले गतिरोध एवं कास्तकारों द्वारा स्थल पर चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यो को बन्द करा दिये जाने पर कास्तकारों के साथ दिनाँक 01.02.2010 से चल रही निरन्तर वार्ताओं के अन्तर्गत दिनाँक 10.02.2010 को बनी सहमति के सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि निम्न शर्तो के आधीन उपलब्ध कराये जाने पर भी इस शर्त के साथ निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक भूमि प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त ही उपलब्ध कराई जा सकेगी अन्यथा 6 प्रतिशत भूमि आवासीय ही उपलब्ध कराई जायेगी।

(ए) - व्यवसायिक भूमि की दरें प्राधिकरण की व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित दरें होगी।

(बी) - व्यवसायिक भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल 500.00 व0मी0 होगा।

(सी) - भुगतान की पद्यति प्राधिकरण की सामान्य शर्तो के अनुसार होगी।

(4) दिनाँक 08.10.2007 को हुए समझौते के अनुसार अर्जित/कब्जा प्राप्त भूमि पर स्थित कास्तकारों की सम्पत्ति यथा वृक्ष, टयूब वैल आदि का मुआवजा प्रशासन से कास्तकारों को शीघ्र दिलाये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर शीघ्र मुआवजा दिलवाया जायेगा तथा प्राधिकरण को अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि का उपयोग करने, निर्माण व विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रथम पक्ष को विकास कार्य करने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही किया जायेगा और विकास कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।

(5) दिनाँक 08.10.2007 को हुए समझौते के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि में यदि कोई जायज आबादी है। उस आबादी का निरीक्षण कराकर आबादी का नियमितिकरण/समायोजन हो सकता है।

डी0 के0 त्यागी
अधिशासी अभियन्ता-प्रथम

(6) दिनाँक 08.10.2007 को हुए समझौते के अनुसार गाँव की मूल/पुरानी आबादी का विकास आवश्यकतानुसार प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा एवं यथा आवश्यकता अन्य मूलभूत सुविधाऐं जैसे सामुदायिक केन्द्र, बरातघर, शमशान, बच्चा कब्रिस्तान आदि का निर्माण/विकास भी प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना में कास्तकारों के लिए खोली जाने वाली योजना के पंजीकरण हेतु स्थानीय कास्तकारों को रियायती दर रू0 100/– प्रति फार्म की दर पर पंजीकरण फार्म उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना में खोले जाने वाले पंजीकरण में स्थानीय कास्तकारों को 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की माँग के बिन्दु पर प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(9) ग्रामवासियों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिनाँक 10.02.10 को दिये गये माँग पत्र के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त उठाये गये बिन्दुओं पर कास्तकारों के साथ अलग से वार्ता एवं विचार विमर्श कर समस्या का हल निकाला जायेगा।

कास्तकारों द्वारा उनके पुर्नवास हेतु आवंटित की जाने वाली 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवासायिक भूमि उपलब्ध कराये जाने की माँग काफी समय से की जाती रही है। विभाग के पत्र सं0–715/12/भू0अ0अ0/09 दिनाँक 21.02.09 द्वारा भी यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था। इस प्रकार भूमि आवंटन का कोई शासनादेश उपलब्ध नही है। इसलिए दिनाँक 10.02.2010 को हुए समझौते के बिन्दु सं0–3 पर कास्तकारों की उक्त माँग को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखकर दिशा निर्देश प्राप्त किये जाने का उल्लेख समझौता पत्र में निम्नानुसार किया गया है –

अर्ह **कास्तकारों को उक्त 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि निम्न शर्तो के आधीन उपलब्ध कराये जाने पर भी इस शर्त के साथ निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक भूमि प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त ही उपलब्ध कराई जा सकेगी अन्यथा 6 प्रतिशत भूमि आवासीय ही उपलब्ध कराई जायेगी।**

(ए) – व्यवसायिक भूमि की दरें प्राधिकरण की व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित दरें होगी।

(बी) – व्यवसायिक भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल 500.00 व0मी0 होगा।

(सी) – भुगतान की पद्यति प्राधिकरण की सामान्य शर्तो के अनुसार होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त समझौता पत्र के बिन्दु सं0–8 में मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना में खोले जाने वाले पंजीकरण में स्थानीय कास्तकारों के 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की माँग के बिन्दु पर प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण में वर्तमान में निम्नानुसार आरक्षण दिया जा रहा है :–

सचिव

डी0 के0 त्यागी

1.	अनुसूचित जाति	—	21प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	—	2 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	---	27 प्रतिशत
4	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो	—	5 प्रतिशत
5	स्वतन्त्रता सेनानी/संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद सदस्य	—	5 प्रतिशत
6	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी/सिटी बोर्ड कर्मचारी/उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी/उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी/उत्तर प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारी/उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी/आवास बन्धु के कर्मचारी	—	2 प्रतिशत
7	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	—	3 प्रतिशत
	योग	**—**	**65 प्रतिशत**

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि–ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण में वर्तमान में निम्नानुसार आरक्षण श्रेणियों का उल्लेख किया गया है :–

क्र0सं0	**आरक्षित श्रेणी**		**आरक्षण का प्रतिशत**
1.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भू–खण्डों पर क्रियाशील औद्योगिक इकाईयां	–	17.5 प्रतिशत
2.	ग्रामवासी जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गयी है।	–	17.5 प्रतिशत
3.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित वाणिज्यिक भूखण्डों/दुकानों एवं संस्थागत भू–खण्डों पर क्रियाशील वाणिज्यिक एवं संस्थागत इकाईयां	–	10 प्रतिशत
4.	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी	–	5 प्रतिशत
	कुल आरक्षण	–	**50 प्रतिशत**

उपरोक्तानुसार स्थानीय कास्तकारों के साथ दिनाँक 10.02.2010 को हुए समझौते के अन्तर्गत समझौते के बिन्दु स०–3 के अनुसार कास्तकारों को आवंटित की जाने वाली 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं बिन्दु सं०–8 के अनुसार योजना में खोले जाने वाले पंजीकरण में स्थानीय कास्तकारों को 17 प्रतिशत आरक्षण प्राधिकरण में प्रचलित उक्त उल्लेखित प्रकिया के अनुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ह०) सचिव

(ह०) डी० के० त्यागी
अधिशासी अभियन्ता-प्रथम

121
12/3/2010

मद सं : 6

विषय :– मधुबन आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप–हाउसिंग भूखण्डों में एफ0ए0आर0 2.75 अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मेरठ रोड तथा हापुड रोड के मध्य के क्षेत्र में लगभग 1300 एकड़ भूमि पर एक महत्वाकांक्षी आवासीय योजना **मधुबन आवासीय योजना** के रूप में विकसित की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्रुप–हाउसिंग, भूखण्डीय विकास आवश्यक जन–सुविधाओं, विभिन्न स्तर के पार्क एवं खुले स्थान इत्यादि नियोजित किए गए है। सम्पूर्ण योजना का मात्र लगभग 11 प्रतिशत क्षेत्रफल ग्रुप–हाउसिंग के विकास हेतु रखा गया है, जबकि कुल आवासीय उपयोग योजना का लगभग 35 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण योजना के बहुत छोटे भाग पर ग्रुप–हाउसिंग भूखण्ड प्रस्तावित किए गए है।

गाजियाबाद भवन उपविधि 2008 के अन्तर्गत नए/अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप–हाउसिंग भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 2.5 अनुमन्य किया गया है । भवन उपविधि के क्लाज संख्या 3.5.1(V) में निम्न प्राविधान है:–

"विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा "बल्क" सेल के रूप में ग्रुप–हाउसिंग, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधओं हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफ़ल पर एफ0ए0आर0 देय होगा, जबकि अन्य योजनाओं के लिए "नेट" भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मीटर एवं अधिक चौडी सडकें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ0ए0आर0 देय होगा।"

योजनान्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आवासीय उपयोग के आंशिक भाग पर ही ग्रुप–हाउसिंग प्रस्तावित की गई है तथा शेष भाग में भूखण्डीय विकास प्रस्तावित है, जिसमें अधिकतम एफ0ए0आर0 भूखण्ड क्षेत्रफल के आधार पर 1.25 से 2.00 तक प्राविधानित है। अतः आवासीय क्षेत्र के समुचित उपयोग के दृष्टिगत ग्रुप–हाउसिंग के भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 2.75 अनुमन्य किए जाने पर भी समग्र रूप में एफ0ए0आर0 2.5 सीमा अन्तर्गत ही रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि नौएडा द्वारा भी अपने नए विकसित किए जाने वाले सैक्टर्स में ग्रुप–हाउसिंग के भूखण्डों पर 2.75 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

1. मधुबन आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप–हाउसिंग के नियोजित भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 2.75 अनुमन्य किया जाए ।
2. ग्रुप–हाउसिंग के भूखण्डों पर क्रय योग्य एफ0ए0आर0 मूल एफ0ए0आर0 2.50 के सापेक्ष ही अनुमन्य किया जाए।

उपरोक्त प्रस्ताव किया जाए प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(सी0एस0 गोयल)
सी0ए0टी0पी0

[signature]
कृष्ण कुमार
सचिव

मद सं०– 7

विषय :–20000 वर्गमी० से अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु भुगतान की शर्तों में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के निस्तारण हेतु प्रचलित नियम व शर्तों के अन्तर्गत नीलामी के उपरान्त सम्पत्ति विशेष के बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर तथा अवशेष 75 प्रतिषत धनराशि 2 माह में बिना ब्याज के अथवा 6 छमाही किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा कराये जाने का प्राविधान है तथा बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि व फ्री–होल्ड/लीज चार्जेज जमा कराकर अनुबन्ध विलेख निष्पादन उपरान्त निर्माण एवं विकास हेतु कब्जा हस्तान्तरित किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सन्निकट ही स्थित नोएडा प्राधिकरण द्वारा वैश्विक आर्थिक मन्दी के दृष्टिगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन हेतु भुगतान की नियम व शर्तों में कुल बिड मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण राशि को समायोजित करते हुए) निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर, अगली 5 प्रतिशत धनराशि निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर, उपरोक्तानुसार कुल 10 प्रतिशत धनराशि तथा 1 साल का अग्रिम लीज किराया जमा कराये जाने के उपरान्त पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए भूखण्ड का कब्जा प्रदान किये जाने, आवंटन तिथि से 2 वर्ष का समय किश्तों के भुगतान हेतु छूट दिये जाने तथा इस 2 वर्ष के समय में मात्र ब्याज लिये जाने एवं 2 वर्ष के उपरान्त अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि 16 छमाही किश्तों में ब्याज सहित लिये जाने की नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

प्राधिकरण की नव विकासशील मधुबन–बापूधाम योजना व इन्दिरापुरम विस्तार योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के दृष्टिगत बड़े ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड नियोजित कर नोएडा/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के समतुल्य उच्च स्तर का विकास सुनिश्चित किये जाने की योजना है परन्तु वर्तमान में आई वैश्विक आर्थिक मन्दी तथा उपरोक्त वर्णित भुगतान स्थितियों में कुशल व तकनीकी रुप से सक्षम बिल्डरों को गाजियाबाद में आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है। उक्त के दृष्टिगत नोएडा/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की भाँति ही बड़े ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों (20000 वर्गमी० क्षेत्रफल से अधिक) के निस्तारण की नियम व शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए भूखण्ड की धरोहर राशि आरक्षित मूल्य के आधार पर 5 प्रतिशत रखे जाने, बिड/बोली स्वीकृति उपरान्त कुल बिड मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर, अगली 5 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तथा उपरोक्तानुसार कुल 10 प्रतिशत धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त लीज रेन्ट व फ्री–होल्ड चार्ज जमा कराते हुए अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराकर भूखण्ड का कब्जा प्रदान किये जाने, आवंटन तिथि से 1 वर्ष का समय किश्तों के भुगतान हेतु छूट दिये जाने तथा इस 1 वर्ष के समय में मात्र ब्याज लिये जाने एवं 1 वर्ष के उपरान्त अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12 छमाही किश्तों में जमा कराने की नियम व शर्तें अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

P.K. Shukla
पंकज कुमार शुक्ला
प्रभारी प्रभारी

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
टी०डी०ए०

महेश चन्द्र शर्मा (…एस० …)
सहायक अभियन्ता/प्रभारी …

… कुमार
सचिव

मद सं०– 8

विषय :– प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–नीलामी की शर्तों में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित विभिन्न भू–उपयोगों के भूखण्डों को सार्वजनिक नीलामी से विक्रय किये जाने हेतु शर्तों का निर्धारण प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 24.05.2004 में मद संख्या–29 पर रखे गये प्रस्ताव के अनुसार किया गया था जिसमें फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराया जाना तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 6 माह में बिना ब्याज के जमा कराया जाना था। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 20.07.2006 में 75 प्रतिशत धनराशि 2 माह में बिना ब्याज के अथवा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 3 वर्ष में जमा कराने के विकल्प देते हुए संशोधित किया गया।

भूखण्डों की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी प्रायः सांय देर तक सम्पन्न हो पाती है। तब तक बैंक का कार्य समय (Working hour) समाप्त हो जाता है, जिस कारण से नीलामी के उपरान्त बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराये जाने हेतु पे–ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट तैयार कराने के लिए उच्चतम बोलीदाताओं के पास पर्याप्त बैंक समय नहीं बचता एवं परिस्थितिवश कई प्रकरण में 25 प्रतिशत धनराशि फॉल ऑफ हैमर पर प्राधिकरण कोष में जमा नहीं हो पाती है। धनराशि जमा न होने पर नियमानुसार 50 प्रतिशत धरोहर राशि काटकर अवशेष राशि उच्चतम बोलीदाता को वापिस कर दी जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु कई बोलीदाताओं द्वारा पूर्व में दिनाँक 30.10.09 एवं 04.12.09 को नीलामी के समय बोली समाप्त होने पर नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भाँति बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि समायोजित करने के उपरान्त) जमा करने हेतु एक सप्ताह का समय दिये जाने का अनुरोध किया गया था। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 24.05.2004 के निर्णय कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुये) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराये जाने की शर्त में आंशिक संशोधन करते हुए आरक्षित दर के आधार पर भूखण्ड के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि को धरोहर राशि के रुप में आवेदन पत्र के साथ नीलामी के समय जमा कराया जाना तथा नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने पर उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृत होने की दशा में आवंटी से कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि की अवशेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने की नियम व शर्तों को अंगीकृत कर लिया गया है। उपरोक्त अंगीकृत की गई नियम व शर्तों से प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

P.K.Shukla J.E
[illegible] कुमार शुक्ला अवर अभियन्ता

अनुराग चौधरी सहायक अभियन्ता गा०वि०प्रा०

महेश चन्द्र वर्मा सहायक अभियन्ता (व्यव)

(पी० एस० चौधरी) वित्त नियंत्रक/प्रभारी [illegible]

[illegible] कुमार सचिव

S2 ~~26~~

मद संख्या : 9

विषयः– एन0एच0–24 मार्ग पर लगी प्रकाश व्यवस्था को नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरण पर 15 मीटर हाईट के एलीवेटर को प्राधिकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा डासना तिराहे से हिण्डन छिजारसी पुल तक का प्रकाश व्यवस्था को नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिग्रहण इस शर्त के साथ किया गया है कि 15 मीटर हाईट का एलीवेटर दिनांक 31.03.10 तक उपलब्ध करा देगा। इसी क्रम में ऐलीवेटर क्रय किया जा रहा है। क्रय कर दिनांक 31.03.10 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना है। अन्यथा एन0एच0–24 की प्रकाश व्यवस्था नगर निगम को टेकओवर (हस्तगत) की गयी है स्वतः निरस्त मानी जायेगी, जिस क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 31.03.10 तक एलीवेटर क्रय कर तक की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त ऐलीवेटर क्रय करने पर धनांक रू0 22,01,910.00 मात्र का व्यय होना है।

अतः उपरोक्तानुसार एलीवेटर क्रय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 में धनांक रू0 22,01,910.00 की स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

JE (Pool)

मद संख्या : 10

विषयः— इन्दिरापुरम योजना में महागुन मेंशन से शिप्रा मॉल तक जाने वाली सड़क का नामकरण शहीद कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस के नाम पर करने के सम्बन्ध में।

फेडरेशन ऑफ इन्दिरापुरम रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिशन के महासचिव श्री मोहन सांगवान द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सम्बोधित अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2010 (जिसकी प्रति संलग्न है।) द्वारा महागुन मेंशन से शिप्रा मॉल तक जाने वाली सड़क का नामकरण "शहीद कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस" के नाम पर करने का अनुरोध किया है।

कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस जम्बू और कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए दिनांक 23.02.2010 को शहीद हो गये थे। वह इन्दिरापुरम के वैभवखण्ड स्थित महागुन मेंशन में रहते थे। शहीद कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस द्वारा देश के लिए किये गये सर्वोच्च बलिदान को भावी पीढ़ियों के स्मृति पटल में सदैव स्मृति रखने एवं देश प्रेम की प्रेरणा देने हेतु महागुन मेंशन से शिप्रा मॉल तक जाने वाली सड़क का नामकरण "शहीद कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस" के नाम पर करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

2.8 54

Federation of Indirapuram Residents Welfare Associations, Indirapuram (FIRWA)

Office : 420, Shakti Khand –IV, Indirapuram, Ghaziabad.

पत्रांक : एफआईआरडब्ल्यूए /04/2010 दिनांक 4.03.2010

सेवा में,

माननीय उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

विषय : शहीद कैप्टन देविन्दर सिंह जस के नाम पर सड़क का नामकरण ।

महोदय,

अभी हाल में कैप्टन देविन्दर सिंह जस जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए । वह इन्दिरापुरम के वैभव खंड में स्थित महागुन मैन्शन में रहते थे ।

फेडरेशन अनुरोध करती है कि शहीद कैप्टन को श्रद्धांजलि स्वरूप महागुन मैन्शन से शिप्रा मॉल तक जाने वाली सड़क का नामकरण 'शहीद कैप्टन देविन्दर सिंह जस' के नाम पर किया जाए ताकि उनकी यह स्मृति वर्तमान और भावी पीढ़ियों को देशप्रेम की प्रेरणा देती रहे ।

धन्यवाद ·

(मोहन सांगवान)
महासचिव
मोबा : 9250648355

मद सं० 11

गाजियाबाद महायोजना–2021 के अन्तर्गत विभिन्न जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद महायोजना–2021 शासनादेश संख्या 2891/8–3–2005–महा/2005 दिनॉक 14–7–05 द्वारा शासन से अनुमोदित है । अनुमोदित महायोजना में विभिन्न जोन्स का सीमाकंन नहीं दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या 2184 /आठ–3–4–2006 55 विविध/2002 दिनॉक 20–2–06 द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान शीर्ष प्राथमिकता पर तैयार किये जाने के निर्देश निर्गत है ·

मेरठ रोड के दक्षिण की ओर के क्षेत्र का जोनल प्लान तैयार कराने का कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा एन0सी0आर0 सेल द्वारा बेस आदि तैयार कराया जा चुका है । स्वीकृत महायोजना के आधार पर समस्त जोनों के जोनल प्लान तैयार कराये जाने आवश्यक हैं किन्तु एन0सी0आर0 सेल द्वारा समस्त जोनों के जोनल प्लान एक साथ तैयार कराये जाने सम्भव नहीं हैं । चूंकि जोनल प्लान तैयार कराने हेतु प्राधिकरण में दक्ष स्टाफ की कमी हैं, अतः शासन द्वारा निर्धारित नीति व निर्गत "Expression of interest" के प्रारूप के आधार पर अन्य जोन्स के जोनल प्लान ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से तैयार कराये जाने प्रस्तावित हैं ।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :–

1– स्वीकृत महायोजना के आधार पर विभिन्न जोन्स का निर्धारण/ सीमांकन उपाध्यक्ष स्तर से किया जाए ।

2– अवशेष समस्त जोनल प्लान तैयार किये जाने का कार्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं से "Expression of interest" आमन्त्रित करते हुए पूर्ण कराया जाए।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

(जी0एस0 गोयल)
सी0ए0टी0पी0

नरेन्द्र कुमार
सचिव

मद सं० – 12

विषय :– प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनाँक 26.12.09 से 07.01.2010 तक योजना प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। योजना हेतु दिनाँक 20.12.09 को दैनिक आज, पायनियर, वीर अर्जुन एवं राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। तदोपरान्त अपरिहार्य कारणों से दिनाँक 05.01.2010 को उपरोक्त समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर योजना की तिथि 06.01.2010 से 16.01.2010 तक परिवर्तित की गयी। योजना में अन्तिम तिथि तक कुल 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हेतु उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 23.01.2010 को सचिव की अध्यक्षता में आवंटन समिति गठित की गयी जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, भूखण्ड विशेष क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को सदस्य नामित किया गया। सचिव की अध्यक्षता में दिनाँक 30.01.2010 को प्राप्त 19 आवेदन पत्रों की समितियों का उनके मूल प्रपत्रों का परीक्षण किया गया। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हेतु समिति की दिनाँक 02.02.2010 को सचिव कक्ष में बैठक आहुत की गयी। बैठक में आवंटन समिति की संस्तुति का विवरण निम्नवत है :–

आवेदन पुस्तिका में पात्रता हेतु निम्न शर्तें रखी गयी थीं :–

1.1 (अ) शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये।

(ब) जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में ही स्कूल संचालित किये जा रहे हैं, उन संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ संचालित स्कूल के प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र तथा स्कूल संचालित किये जाने के संस्था के अनुभव का विवरण संलग्न करना होगा।

(स) नई संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर संस्था के पदाधिकारीयों का शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव, योगदान तथा शिक्षा के प्रसार की परिकल्पना का स्वरुप संलग्न करना होगा।

(द) यदि किसी संस्था को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी समान प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गयी है तो पूर्व आवंटन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण तथा संस्था द्वारा प्राधिकरण से आवंटित भूमि पर निर्माण की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जायेगा।

(य) यदि, एक भूखण्ड के विरूद्ध एक से अधिक संस्थायें चयन हेतु उपयुक्त पाई जाती हैं, तो वरीयता एकमुश्त भुगतान करने वाली संस्था को दी जायेगी। एक से अधिक संस्थायें एकमुश्त भुगतान करने हेतु सहमत होंगी तो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।

1.2. आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है। संस्था की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के प्रमाण पत्र के रुप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सॉलवेन्सी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर उपर्युक्त शर्तों के दृष्टिगत विचार हेतु निम्न नॉर्म्स निर्धारित किये गये :–

P.K. Shukla
पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभियन्ता

महेश चन्द्र मौर्य
सहा० अभियन्ता (...)

(पी० एस० ...)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी ...

1. शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
2. पूर्व से स्कूल संचालित करने वाली संस्थाओं के द्वारा संचालित किये जा रहे स्कूल की प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड की मान्यता तथा अनुभव के आधार पर विचार।
3. नई संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर संस्था के पदाधिकारियों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव तथा योगदान पर विचार।
4. एक से अधिक संस्थाओं/समितियों के किसी भूखण्ड पर चयन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर एकमुश्त भुगतान करने वाली संस्था को वरीयता। यदि एक से अधिक संस्थायें एकमुश्त भुगतान करने हेतु सहमत हों तो उन संस्थाओं के मध्य लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आवंटन।
5. जिन संस्थाओं द्वारा किश्तों में भुगतान हेतु विकल्प दिया है उनके द्वारा स्कूल भूखण्डों के कुल मूल्य की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि हेतु संस्था द्वारा या तो बैंक सॉल्वेन्सी प्रस्तुत की गयी हो या एफ.डी.आर./एकाउन्ट बेलेन्स आदि के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति प्रमाणित की गयी हो। जिन संस्थाओं द्वारा एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया गया है उनके द्वारा आवेदित भूखण्ड के कुल मूल्य की बैंक सॉल्वेन्सी या एफ.डी.आर./एकाउन्ट बेलेन्स के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति प्रमाणित की गयी हो।
6. संस्था द्वारा संलग्न की गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर मानकों के अनुसार विद्यालय भवन निर्मित करने तथा संचालन में सक्षम व ख्याति प्राप्त संस्थाओं को वरीयता।

उपरोक्त के क्रम में विभिन्न विद्यालय भूखंडों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए उनके आवंटन के लिए समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति प्रस्तुत की गयीं :–

क॰सं॰	भूखण्ड संख्या	स्कूल/संस्था का नाम
1	गोविन्दुपरम जी.–ब्लॉक कैच भूखण्ड, 692.72 वर्गमी॰	निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये जाने वाली तीनों संस्थाओं के अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण व संस्था द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने व तद्नुसार समिति की अनुशंसा के अनुरुप निर्णय लेने की संस्तुति।
2	स्वर्णजयन्तीपुरम डी.–ब्लॉक प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2075.76 वर्गमी॰	किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरा न किये जाने के कारण आवंटित न किये जाने की संस्तुति।
3	इन्दिरापुरम शक्तिखण्ड–4, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2558.47 वर्गमी॰	अनन्त एजुकेशनल सोसायटी।

P.K. Shukla
पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभियन्ता

महेश चन्द्र शर्मा
सहायक अभियन्ता (प्राव)

(पी॰ एस॰ बावरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी व्यवस्थापक

नरेन्द्र कुमार
सचिव

58
32

4	वैशाली, सैक्टर–2 प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2182.80 वर्गमी०	दसोहा ग्लोबल सोसायटी।
5	बृजविहार ई.–ब्लॉक नर्सरी स्कूल भूखण्ड एन.एस.–2, 882.95 वर्गमी०	निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये जाने वाली दोनों संस्थाओं के अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण व संस्था द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने व तद्नुसार समिति की अनुशंसा के अनुरुप निर्णय लेने की संस्तुति।
6	बृजविहार ई.–ब्लॉक कैच भूखण्ड, 490.00 वर्गमी०	माँ सरस्वती शिशु शिक्षा समिति द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर इन्हें भूखण्ड आवंटित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
7	इन्द्रप्रस्थ पॉकिट–डी, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 5144.49 वर्गमी०	मात्र एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। संस्था द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरा न किये जाने के कारण आवंटित न किये जाने की संस्तुति।

समिति की संस्तुति दिनाँक 02.02.2010 एवं सम्बन्धित तुलनात्मक तालिका संलग्न है। शासनादेश संख्या 3018/11–5–89–660 डीए/89 दिनाँक 05.07.89 एवं संशोधित शासनादेश दिनाँक 07.07.94 के कम में आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार उपरोक्तानुसार शिक्षण संस्थाओं को विद्यालय भूखण्डों के आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

P.K.Shukla
पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभि०

महेश चन्द्र शर्मा
सहायक अभियन्ता(...)

(पी० एस० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी ...

... कुमार
सचिव

स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनाँक 02.02.2010 को हुई बैठक में विचार विमर्श के अनुसार समिति की संस्तुतियाँ

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनाँक 26.12.09 से 07.01.2010 तक योजना प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। योजना हेतु दिनाँक 20.12.09 को दैनिक आज, पायनियर, वीर अर्जुन एवं राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। तदोपरान्त दिनाँक 05.01.2010 को उपरोक्त समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर योजना की तिथि 06.01.2010 से 16.01.2010 तक परिवर्तित कर दी गयी। योजना में अन्तिम तिथि तक कुल 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हेतु उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 23.01.2010 को सचिव की अध्यक्षता में आवंटन समिति गठित की गयी जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, भूखण्ड विशेष क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को सदस्य नामित किया गया। सचिव की अध्यक्षता में दिनाँक 30.01.2010 को प्राप्त 19 आवेदन पत्रों की समितियों का उनके मूल प्रपत्रों का मिलान किया गया। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हेतु समिति की दिनाँक 02.02.2010 को सचिव कक्ष में बैठक आहुत की गयी। बैठक में आवंटन समिति की संस्तुति का विवरण निम्नवत है :–

आवेदन पुस्तिका में पात्रता हेतु निम्न शर्तें रखी गयी थीं :–

1.1 (अ) शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये।

(ब) जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में ही स्कूल संचालित किये जा रहे हैं, उन संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ संचालित स्कूल के प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र तथा स्कूल संचालित किये जाने के संस्था के अनुभव का विवरण संलग्न करना होगा।

(स) नई संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर संस्था के पदाधिकारीयों का शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव, योगदान तथा शिक्षा के प्रसार की परिकल्पना का स्वरुप संलग्न करना होगा।

(द) यदि किसी संस्था को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी समान प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गयी है तो पूर्व आवंटन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण तथा संस्था द्वारा प्राधिकरण से आवंटित भूमि पर निर्माण की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जायेगा।

(य) यदि एक भूखण्ड के विरूद्ध एक से अधिक संस्थायें चयन हेतु उपयुक्त पाई जाती हैं, तो वरीयता एकमुश्त भुगतान करने वाली संस्था को दी जायेगी। एक से अधिक

संस्थायें एकमुश्त भुगतान करने हेतु सहमत होंगी तो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।

1.2.आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है। संस्था की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के प्रमाण पत्र के रुप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सॉलवेन्सी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर उपर्युक्त शर्तों के दृष्टिगत विचार हेतु निम्न नॉर्म्स निर्धारित किये गये :-

1. शैक्षिक संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी अथवा ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
2. पूर्व से स्कूल संचालित करने वाली संस्थाओं के द्वारा संचालित किये जा रहे स्कूल की प्राधिकृत शिक्षा बोर्ड की मान्यता तथा अनुभव के आधार पर विचार।
3. नई संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर संस्था के पदाधिकारियों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव तथा योगदान पर विचार।
4. एक से अधिक संस्थाओं/समितियों के किसी भूखण्ड पर चयन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर एकमुश्त भुगतान करने वाली संस्था को वरीयता। यदि एक से अधिक संस्थायें एकमुश्त भुगतान करने हेतु सहमत हों तो उन संस्थाओं के मध्य लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आवंटन।
5. जिन संस्थाओं द्वारा किश्तों में भुगतान हेतु विकल्प दिया है उनके द्वारा स्कूल भूखण्डों के कुल मूल्य की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि हेतु संस्था द्वारा या तो बैंक सॉल्वेन्सी प्रस्तुत की गयी हो या एफ.डी.आर./एकाउन्ट बेलेन्स आदि के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति प्रमाणित की गयी हो। जिन संस्थाओं द्वारा एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया गया है उनके द्वारा आवेदित भूखण्ड के कुल मूल्य की बैंक सॉल्वेन्सी या एफ.डी.आर./एकाउन्ट बेलेन्स के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति प्रमाणित की गयी हो।
6. संस्था द्वारा संलग्न की गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर मानकों के अनुसार विद्यालय भवन निर्मित करने तथा संचालन में सक्षम व ख्याति प्राप्त संस्थाओं को वरीयता।

उपरोक्त के क्रम में विभिन्न विद्यालय भूखण्डों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए

उनके आवंटन के लिए समिति निम्नानुसार अपना अभिमत प्रकट करती है :—

1 **गोविन्दुपरम जी.—ब्लॉक कैच भूखण्ड, 692.72 वर्गमी०**

इस भूखण्ड हेतु निम्न 5 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया :—

1. सिल्वर लाईन एजुकेशनल ट्रस्ट, गाजियाबाद।
2. इन्द्रशील जैन ट्रस्ट, गाजियाबाद।
3. नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, मेरठ।
4. मनोरथ संकल्प समिति, गोरखपुर।
5. रामा एजुकेशनल सोसायटी, कानपुर।

उपरोक्त 5 संस्थाओं में से सिल्वर लाईन एजुकेशनल ट्रस्ट, इन्द्रशील जैन ट्रस्ट तथा नेशनल पब्लिक स्कूल समिति द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये गये हैं। अतः निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये जाने वाली तीनों संस्थाओं के अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण व संस्था द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने व तद्नुसार समिति की अनुशंसा के अनुरुप निर्णय लेने की संस्तुति की जाती है।

2. **स्वर्णजयन्तीपुरम डी.—ब्लॉक प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2075.76 वर्गमी०**

इस भूखण्ड हेतु निम्न 2 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया :—

1. सिल्वर लाईन एजुकेशनल ट्रस्ट, गाजियाबाद।
2. उत्कर्षनी एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ।

उपरोक्त दोनों संस्थाओं में से सिल्वर लाईन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड पर निर्माण हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है। उत्कर्षनी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड पर निर्माण हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे अन्य स्कूल/सदस्यों के शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को संलग्न नहीं किया गया है। आवेदित समितियों के प्रपत्रों के सत्यापन के समय आवेदित ट्रस्ट द्वारा प्रपत्रों का सत्यापन भी नहीं कराया गया। अतः स्वर्णजयन्तीपुरम डी.—ब्लॉक प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2075.76 वर्गमी० हेतु आवेदित दोनों संस्थाओं द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरे न किये जाने के कारण इस स्कूल भूखण्ड को इस योजना में आवंटित न किये जाने की संस्तुति की जाती है।

3. **इन्दिरापुरम शक्तिखण्ड—4, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2558.47 वर्गमी०**

इस भूखण्ड हेतु निम्न 3 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया :—

1. दसोहा ग्लोबल सोसायटी।
2. रामा एजुकेशनल सोसायटी।
3. अनन्त एजुकेशनल सोसायटी।

उपरोक्त तीनों संस्थाओं में से दसोहा ग्लोबल सोसायटी तथा अनन्त एजुकेशनल सोसायटी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये गये हैं। दसोहा ग्लोबल सोसायटी वर्ष 2009 से पंजीकृत है। सोसायटी द्वारा रू॰ 400.00 लाख की बैंक सॉल्वैन्सी प्रस्तुत की गयी है। सोसायटी की प्रेसीडेन्ट द्वारा अन्य शिक्षण संस्थाओं इन्जीनियरिंग कॉलिज/मैडीकल कॉलिज संचालित किये जाने में अपना योगदान तथा अनुभव को भी प्रस्तुत किया है। अनन्त एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2006 से पंजीकृत है। सोसायटी द्वारा रू॰ 500.00 लाख की बैंक सॉल्वैन्सी प्रस्तुत की गयी है। सोसायटी के सचिव द्वारा अन्य शिक्षण संस्थाओं इन्जीनियरिंग कॉलिज/मैडीकल कॉलिज संचालित किये जाने में अपना योगदान तथा अनुभव को भी प्रस्तुत किया है। सोसायटी द्वारा एकमुश्त भुगतान का विकल्प भी प्रस्तुत किया गया है। रामा एजुकेशनल सोसायटी द्वारा पूर्व में चलाये जा रहे विद्यालयों अथवा समिति के सदस्यों के शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव को प्रस्तुत नहीं किया गया है। रामा एजुकेशनल सोसायटी आवंटन हेतु निर्धारित नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं। अनन्त एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2006 से पंजीकृत है तथा समिति द्वारा एकमुश्त भुगतान का विकल्प भी प्रस्तुत किया है। अतः आवंटन की शर्तों के अधीन समिति द्वारा दिये गये एकमुश्त भुगतान के विकल्प को दृष्टिगत रखते हुए दसोहा ग्लोबल सोसायटी पर वरीयता देते हुए इन्दिरापुरम शक्तिखण्ड–4, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2558.47 वर्गमी॰ को अनन्त एजुकेशनल सोसायटी के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. **वैशाली, सैक्टर–2 प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2182.80 वर्गमी॰**

इस भूखण्ड हेतु निम्न 2 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया :–

1. दसोहा ग्लोबल सोसायटी।
2. अनन्त एजुकेशनल सोसायटी।

उपरोक्त दोनों संस्थाओं दसोहा ग्लोबल सोसायटी तथा अनन्त एजुकेशनल सोसायटी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये गये हैं। अनन्त एजुकेशनल सोसायटी वर्ष 2006 से पंजीकृत है। सोसायटी द्वारा रू॰ 500.00 लाख की बैंक सॉल्वैन्सी प्रस्तुत की गयी है। सोसायटी के सचिव द्वारा अन्य शिक्षण संस्थाओं इन्जीनियरिंग कॉलिज/मैडीकल कॉलिज संचालित किये जाने में अपना योगदान तथा अनुभव को भी प्रस्तुत किया है। दसोहा ग्लोबल सोसायटी वर्ष 2009 से पंजीकृत है। सोसायटी द्वारा रू॰ 400.00 लाख की बैंक सॉल्वैन्सी प्रस्तुत की गयी है। सोसायटी की प्रेसीडेन्ट द्वारा अन्य शिक्षण संस्थाओं

इन्जीनियरिंग कॉलिज/मैडीकल कॉलिज संचालित किये जाने में अपना योगदान तथा अनुभव को भी प्रस्तुत किया है। सोसायटी द्वारा एकमुश्त भुगतान का विकल्प भी प्रस्तुत किया गया है। अतः आवंटन की शर्तों के अधीन समिति द्वारा दिये गये एकमुश्त भुगतान के विकल्प को दृष्टिगत रखते हुए अनन्त एजुकेशनल सोसायटी पर वरीयता देते हुए वैशाली, सैक्टर–2 प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 2182.80 वर्गमी० को दसोहा ग्लोबल सोसायटी के पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. **बृजविहार ई.–ब्लॉक नर्सरी स्कूल भूखण्ड एन.एस.–2, 882.95 वर्गमी०**

इस भूखण्ड हेतु निम्न 2 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया :–

1. सिल्वर लाईन एजुकेशनल ट्रस्ट, गाजियाबाद।
2. मिनर्वा यूनिवर्सल एजुकेशनल एन्ड कल्चरल सोसायटी, दिल्ली।

उपरोक्त दोनों संस्थाओं सिल्वर लाईन एजुकेशनल ट्रस्ट तथा मिनर्वा यूनिवर्सल एजुकेशनल एन्ड कल्चरल सोसायटी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये गये हैं। अतः निर्धारित नॉर्म्स पूरे किये जाने वाली दोनों संस्थाओं के अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण व संस्था द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने व तद्नुसार समिति की अनुशंसा के अनुरुप निर्णय लेने की संस्तुति की जाती है।

6. **बृजविहार ई.–ब्लॉक कैच भूखण्ड, 490.00 वर्गमी०**

इस भूखण्ड हेतु निम्न 4 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया :–

1. माँ सरस्वती शिशु शिक्षा समिति, गाजियाबाद।
2. उत्कर्षनी एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ।
3. विद्या दर्पण सोसायटी, दिल्ली।
4. मनोरथ संकल्प समिति, गोरखपुर।

उपरोक्त चारों संस्थाओं में से उत्कर्षनी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड पर निर्माण हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे अन्य स्कूल/सदस्यों के शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को संलग्न नहीं किया गया है। आवेदित समितियों के प्रपत्रों के सत्यापन के समय आवेदित ट्रस्ट द्वारा प्रपत्रों का सत्यापन भी नहीं कराया गया। मनोरथ संकल्प समिति द्वारा बैंक सॉल्वेन्सी प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा समिति द्वारा पूर्व में चलाये जा रहे विद्यालयों अथवा समिति के सदस्यों के शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव को प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्या दर्पण सोसायटी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे अन्य स्कूल/सदस्यों के शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को संलग्न नहीं किया गया है। माँ सरस्वती शिशु शिक्षा समिति वर्ष 2002 से पंजीकृत है एवं समिति द्वारा प्राइमरी स्तर तक का

स्कूल वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक संचालित किया गया है। समिति द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी मान्यता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा एकमुश्त भुगतान का विकल्प भी प्रस्तुत किया है। समिति सभी निर्धारित नॉर्म्स पूरा करती है किन्तु समिति द्वारा प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड पर निर्माण हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की है। उपरोक्त चारों संस्थाओं में से उत्कर्षनी एजुकेशनल ट्रस्ट, मनोरथ संकल्प समिति तथा विद्या दर्पण सोसायटी आवंटन हेतु निर्धारित नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं। माँ सरस्वती शिशु शिक्षा समिति नॉर्म्स पूरा करती है किन्तु समिति द्वारा प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड पर निर्माण हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं किये जाने के कारण इस स्कूल भूखण्ड को आवंटित नही किये जाने तथा समिति द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर इनके आवेदन पर विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है।

7. **इन्द्रप्रस्थ पॉकिट–डी, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड, 5144.49 वर्गमी॰**

इस भूखण्ड हेतु केवल एक आवेदक जी.सी. पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति वर्ष 2000 से पंजीकृत है तथा वर्ष 2002 से जूनियर स्तर तक का स्कूल संचालित कर रही है। समिति ने रु॰ 25 लाख की बैंक सॉल्वेन्सी प्रस्तुत की है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक सॉल्वेन्सी 5144.49 वर्गमी॰ के भूखण्ड पर प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। योजना में मात्र एक ही आवेदन आया है। जिनके द्वारा निर्धारित नॉर्म्स पूर्ण नहीं किये गये हैं। उपरोक्त के क्रम में आवेदक जी.सी. पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति को निर्धारित नॉर्म्स पूर्ण नहीं किये जाने पर भूखण्ड आवंटित न किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इन्द्रप्रस्थ पॉकिट–डी स्थित प्राइमरी स्कूल भूखण्ड को आवंटित न किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्त भूखण्डों पर प्राप्त आवेदनों की तुलनात्मक तालिका संलग्न है। उपरोक्तानुसार क्रम सं॰–3 पर इन्दिरापुरम शक्तिखण्ड–4, प्राइमरी स्कूल भूखण्ड तथा क्रम सं॰–4 पर वैशाली, सैक्टर–2 प्राइमरी स्कूल भूखण्ड को आवंटित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

Sd. (पी.एस.चौधरी) वित्त नियंत्रक	Sd. (जी.एस.गोयल) सी.ए.टी.पी.	Sd. (अनिल गर्ग) मुख्य अभियन्ता	Sd. (रविन्द्र सिंह) जिला विद्यालय निरीक्षक	Sd. (नरेन्द्र कुमार) सचिव

Ghaziabad Development Authority

Govindpuram G Block Creche Plot

Area – 692.72 Sq. Meter | Rate – Rs. 3120.00 Per Sq. Meter | Amount – Rs. 21.61 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Experience			Students Strength			Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
				Running Institutes	Recognized up to	Recognized Since	2007-08	2008-09	2009-10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Silverline Educational Trust.Ghaziabad	50,000.00	1999	Silverline School. A-2/1. B.S.Road Industrial Area. Ghaziabad	XIIth	2006	-	-	1272	25.00	Submitted	Installments	Eligible for Consideration
2	Indersheel Jain Trust.Ghaziabad	50,000.00	1999	Profile of Chairman and Experience in the field of Education is Given						25.00	Submitted	Installments	Eligible for Consideration
3	National Public School Samiti. Meerut	50,000.00	1997	National Public School Samiti. Harra. Meerut	Vth	1997	476	432	470	16.00	Submitted	Installments	Eligible for Consideration
4	Manorath Sankalp Society Gorakhpur	50,000.00	2008	Details Not Submitted						Not submitted	Submitted	Installments	Experience not found. Financial Status not sound.
5	Rama Educationl Society. Kanpur	50,000.00	2003	Details Not Submitted						400 .00	Submitted	Installments	Experience not found

Sd.	Sd.	Sd.	Sd.	Sd.
(पी.एस.चौधरी)	(जी.एस.गोयल)	(अनिल गर्ग)	(रविन्द्र सिंह)	(नरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक	सी.ए.टी.पी.	मुख्य अभियन्ता	जिला विद्यालय निरीक्षक	सचिव

85

Ghaziabad Development Authority

Swarn Jayanti Puram D Block Primary School Plot

Area – 2075.76 Sq. Meter   Rate – Rs. 3120.00 Per Sq. Meter   Amount – Rs. 64.76 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Experience			Students Strength			Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
				Running Institutes	Recognized up to	Recognized Since	2007 -08	2008 -09	2009 -10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Silverline Educational Trust.Ghaziabad	1.00,000.00	1999	Silverline School. A-2/1. B.S.Road Industrial Area. Ghaziabad	XIIth	2006			1272	60 .00	Not Submitted	Installments	Project Report not Submitted
2	Utkarshani Educational Trust. Luckhnow	1.00,000.00	2007	Details Not Submitted						50.00	Not Submitted	Not Given	Experience not found. Original Papers Not Shown. Project Report not Submitted

Sd.	Sd.	Sd.	Sd.	Sd.
(पी.एस.चौधरी)	(जी.एस.गोयल)	(अनिल गर्ग)	(रविन्द्र सिंह)	(नरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक	सी.ए.टी.पी.	मुख्य अभियन्ता	जिला विद्यालय निरीक्षक	सचिव

40

Ghaziabad Development Authority

Indirapuram Shakti Khand-IV Primary School Plot

Area – 2558.47 Sq. Meter   Rate – Rs. 4320.00 Per Sq. Meter   Amount – Rs. 110.53 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Experience			Students Strength			Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
				Running Institutes	Recognized up to	Recognized Since	2007-08	2008-09	2009-10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dasoha Global Society, Kanpur	1,00,000.00	2009	Profile of Society President and Experience in the field of Education is Given						400.00	Submitted	Installments	**Eligible for Consideration**
2	Rama Educationl Society, Kanpur	1,00,000.00	1995	Details Not Submitted						400.00	Submitted	Installments	Experience not found
3	Anant Educational Society, Kanpur	1,00,000.00	2006	Profile of Society Secretary and Experience in the field of Education is Given						500.00	Submitted	One Time	**Eligible for Consideration**

Sd.	Sd.	Sd.	Sd.	Sd.
(पी.एस.चौधरी)	(जी.एस.गोयल)	(अनिल गर्ग)	(रविन्द्र सिंह)	(नरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक	सी.ए.टी.पी.	मुख्य अभियन्ता	जिला विद्यालय निरीक्षक	सचिव

41 67

Ghaziabad Development Authority

Vaishali Sector-2 Primary School Plot

Area – 2182.80 Sq. Meter Rate – Rs.4800.00 Per Sq. Meter Amount – Rs. 104.77 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Experience			Students Strength			Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
				Running Institutes	Recognized up to	Recognized Since	2007-08	2008-09	2009-10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dasoha Global Society, Kanpur	1,00,000.00	2009	Profile of Society President and Experience in the field of Education is Given						400.00	Submitted	One Time	Eligible for Consideration
2	Anant Educational Society, Kanpur	1,00,000.00	2006	Profile of Society Secretary and Experience in the field of Education is Given						500.00	Submitted	Installments	Eligible for Consideration

Sd. (पी.एस.चौधरी) वित्त नियंत्रक

Sd. (जी.एस.गोयल) सी.ए.टी.पी.

Sd. (अनिल गर्ग) मुख्य अभियन्ता

Sd. (रविन्द्र सिंह) जिला विद्यालय निरीक्षक

Sd. (नरेन्द्र कुमार) सचिव

68 42

Ghaziabad Development Authority

Brij Vihar E-Block Nursery School Plot N.S.-2

Area – 882.95 Sq. Meter Rate – Rs. 3360.00 Per Sq. Meter Amount – Rs. 29.66 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Experience			Students Strength			Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
				Running Institutes	Recognized up to	Recognized Since	2007 -08	2008 -09	2009 -10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Silver Line Educational Trust,Ghaziabad	1,00,000.00	1999	Silver Line School, A-2 1, B.S.Road Industrial Area, Ghaziabad	XIIth	2006	-	-	1272	35.00	Submitted	Installments	**Eligible for Consideration**
2	Minerva Universal Educational & Cultural Society, Delhi	1,00,000.00	1990	Minerva Universal Public School, Vaishali, Ghaziabad	VIIIth	2003	-	-	364	40.00	Submitted	Installments	**Eligible for Consideration**

Sd.
(पी.एस.चौधरी)
वित्त नियंत्रक

Sd.
(जी.एस.गोयल)
सी.ए.टी.पी.

Sd.
(अनिल गर्ग)
मुख्य अभियन्ता

Sd.
(रविन्द्र सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक

Sd.
(नरेन्द्र कुमार)
सचिव

43 69

Ghaziabad Development Authority

Brij Vihar E-Block Creche Plot

Area – 490.00 Sq. Meter | Rate – Rs. 3360.00 Per Sq. Meter | Amount – Rs. 16.46 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Experience			Students Strength			Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
				Running Institutes	Recognized up to	Recognized Since	2007-08	2008-09	2009-10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Maa Saraswati Shishu Shiksha Samiti, Bhopura, Ghaziabad	50,000.00	2002	Maata Saraswati Shiksha Mandir	Vth	2004	618	653	-	18.00	Details of project not Submitted	One Time	Details of Project not submitted.
2	Utkarshani Educational Trust, Luckhnow	50,000.00	2007	Details Not Submitted						50 .00	Not Submitted	-	Experience not found, Original Papers Not Shown, Project Report not Submitted
3	Vidhya Darpan Society, Delhi	50,000.00	1994	Details Not Submitted						25.00	Submitted	One Time	Experience not found
4	Manorath Sankalp Society Gorakhpur	50,000.00	2008	Details Not Submitted						Not Submitted	Submitted	Installments	Experience not found

Sd.	Sd.	Sd.	Sd.	Sd.
(पी.एस.चौधरी)	(जी.एस.गोयल)	(अनिल गर्ग)	(रविन्द्र सिंह)	(नरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक	सी.ए.टी.पी.	मुख्य अभियन्ता	जिला विद्यालय निरीक्षक	सचिव

Ghaziabad Development Authority

Indraprastha Pocket-D Primary School Plot

Area – 5144.49 Sq. Meter   Rate – Rs. 1920.00 Per Sq. Meter   Amount – Rs. 98.77 Lacs.

S. No.	Name of Educational Society	Registration Amount Deposited (Rs.)	Registered from	Running Institutes	Experience: Recognized up to	Experience: Recognized Since	Students Strength 2007-08	Students Strength 2008-09	Students Strength 2009-10	Financial Status/ Bank Solvency (Rs. in Lacs)	Project Report	Payments Plan Option Given	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	G.C.Public School Shiksha Samiti, Deepak Vihar, Khoda Colony, Ghaziabad	1,00,000.00	2000	G.C.Public Junior HighSchool, Deepak Vihar, Khoda Colony, Ghaziabad	VIIIth	2002	531	637	695	25.00	Submitted	Installments	Financial Status not sound

Sd.
(पी.एस.चौधरी)
वित्त नियंत्रक

Sd.
(जी.एस.गोयल)
सी.ए.टी.पी.

Sd.
(अनिल गर्ग)
मुख्य अभियन्ता

Sd.
(रविन्द्र सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक

Sd.
(नरेन्द्र कुमार)
सचिव

71/45

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

उपाध्यक्ष / मा0 अध्यक्ष महोदय

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 121वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 12–3–2010 का कार्यवृत्त तैयार कर लिया गया है । कृ0 अनुमोदित करना चाहें ।

(नरेन्द्र कुमार)
सचिव
12/3/10

कृपया अनुमोदनार्थ।

12.03.10
उपाध्यक्ष
गा0वि0प्रा0

मा0 अध्यक्ष जी

12.03.10

उपाध्यक्ष

सचिव

12.3.10

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 121वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 12–3–2010 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 121वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 12–03–2010 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/ सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1– श्री अरूण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
3– श्री आर0 रमेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।
4– सुश्री निरूपमा मिश्रा, अपर नगर आयुक्त– नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ।
5– श्री सुरेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
6– श्री एन0आर0 वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0 के प्रतिनिधि ।
7– श्री विजेन्द्र सिंह चौहान , सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाजियाबाद)गा0वि0प्रा।
8– श्री हरिमोहन, सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाज़ियाबाद),गा0वि0प्रा0 ।
9– श्री प्रेमचन्द्र भारती, सदस्य(गैर सरकारी)(नगर निगम,गाजियाबाद),गा0वि0प्रा0 ।
10– श्रीमती सुषमा रानी, (गैर सरकारी)नामित सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 16–01–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड बैठक दिनॉक 16–01–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई । मद संख्या – 5 व 6 पर प्राधिकरण सदस्य सर्वश्री मुकेश गर्ग, बिजेन्द्र सिंह चौहान व श्री हरिमोहन कौशिक द्वारा की गई आपत्तियों को नोट करते हुए निर्देशित किया गया कि मद संख्या–5 वांछित सूचना सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाये । मद संख्या–6 पर गत बोर्ड बैठक में आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जा चुका है । अब

			पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है ।
2–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 16–01–2010 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 16–01–2010 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि :– गाजियाबाद नगर हेतु कॉम्प्रेहेन्सिव मोबिलिटी प्लान समयबद्ध तैयार करा लिया जाये तथा गाजियाबाद नगर में यातायात से संबंधित विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये । मेरठ रोड से लगे नवीन नगरीकरण क्षेत्र के सर्कुलेशन रोड प्लान के संबंध में 15 दिन में कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये ।
3–		शासनादेश संख्या 1106/ 9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक /2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106/9–आ– 1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक / 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया तथा निम्न निर्देशित किया गया :– ए– मैट्रो पर होने वाले व्यय को बाह्य विकास शुल्क में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये बी– मैट्रो पर होने वाले व्यय के दृष्टिगत बाह्य विकास शुल्क में इस मद हेतु जोडे जाने वाली धनराशि की देयता इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप व हाईटैक टाऊनशिप पर भी भारित किये जाने हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया जाये । सी– रिक्त सम्पत्तियों को वेबसाईट पर डालने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । डी– अर्जन के प्रस्तावों की अद्यतन

			स्थिति तैयार की जाये तथा प्रभावी अनुश्रवण/पैरवी की जाये । ई– सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रताप विहार के पूर्व निर्मित भवनों के निस्तारण हेतु सदस्य श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा दिये गये प्रस्ताव का परीक्षण करा लिया जाये ।
4–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–2011 का बजट ।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–2011 का आय–व्ययक (बजट) स्वीकृत किया गया ।
5–		प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना हेतु अर्ह–भू–स्वामियों को अधिग्रहीत भूमि की दी जाने वाली 6 प्रतिशत भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दिये जाने तथा योजना के खोले जाने वाले पंजीकरण में स्थानीय कास्तकारों को 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में ।	मधुबन बापूधाम योजना के कुछ मामलों में विकित भूमि के बदले दी जानी वाली 6 प्रतिशत आवासीय भूमि में से 2 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि इस शर्त के साथ दिये जाने पर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्ययभार नहीं पडेगा तथा योजना की कास्टिंग प्रभावित नहीं होगी । कास्तकारों को पंजीकरण में 17 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को अग्रसारित किये जाने की संस्तुति की गई ।
6–		मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाऊसिंग भूखण्डों में एफ0ए0आर0 2.75 अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि योजनान्तर्गत ग्रुप हाऊसिंग भूखण्डों पर जनसंख्या घनत्व 325 ईकाई प्रति हैक्टेयर के अन्तर्गत ही रहेगा ।
7–		20000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेंत्रफल के ग्रुप हाऊसिंग भूखण्डों को निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

	हेतु भुगतान की शर्तों में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में ।		
8–	प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निविदा – सह– नीलामी की शर्तों में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
9–	एन0एच0–24 मार्ग पर लगी प्रकाश व्यवस्था को नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरण पर 15 मीटर हाईट के एलीवेटर को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
10–	इन्दिरापुरम योजना में महागुन मेंशन से शिप्रा मॉल तक जाने वाली सड़क का नामकरण शहीद कैप्टन देवेन्द्र सिंह जस के नाम पर करने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
11–	गाजियाबाद महायोजना–2021 के अन्तर्गत विभिन्न जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के संबंध में		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
12–	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के भूखण्डों के आवंटन के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(नरेन्द्र कुमार)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

12.03.10
(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

12.03.10
(अरूण कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
प्रमुख सचिव–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ